

भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, P
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं० 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधीरोड, नईदिल्ली - 110003

Government of India,
Min. of Personnel, Public Grievances &
Pensions,
Dept. of Training and Personnel,
Staff Selection Commission
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110003

(आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) पर दिनांक 17.05.2022 को अपलोड करने

हेतु)

विज्ञप्ति

दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही (लिपिकीय) परीक्षा, 2022

ऑनलाइन आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथियां	17.05.2022 से 16.06.2022
ऑनलाइन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	16.06.2022 (2300 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि एवं समय	17.06.2022 (2300 बजे)
ऑफलाइन चालान को तैयार करने की अंतिम तिथि एवं समय	18.06.2022 (2300 बजे)
चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि (बैंक के कार्य समय के दौरान)	20.06.2022
'आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु विंडो' और संशोधन हेतु सुधार शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की तिथियां	21.06.2022 से 25.06.2022 (2300 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम	सितंबर, 2022

'' सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है''

फा.सं. 3/1/2022-नी एवं यो-II - दिल्ली पुलिस और कर्मचारी चयन आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही (लिपिकीय) परीक्षा, 2022 की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा। देश के सभी भागों से अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। इस भर्ती की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- 1.1 इस परीक्षा की विज्ञप्ति दिल्ली पुलिस द्वारा पुनरीक्षण के बाद कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट अर्थात <https://ssc.nic.in> पर अधिसूचित की जाएगी। इस संबंध में एक नोटिस/लिंक दिल्ली पुलिस की वेबसाइट अर्थात www.delhipolice.gov.in पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- 1.2 दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही (लिपिकीय) की भर्ती के लिए ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रिक्तियों की सूचना दिल्ली पुलिस द्वारा कर्मचारी चयन आयोग को दी जाएगी।
- 1.3 कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे।

- 1.4 कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवेदनों की संख्या के आधार पर 'कंप्यूटर आधारित परीक्षा' (सीबीई) माध्यम में अखिल भारतीय आधार पर परीक्षा आयोजित करेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी।
- 1.5 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएंगे और प्रवेश पत्र / प्रवेश प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी से संबंधित एक 'नोटिस' दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- 1.6 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम आयोग द्वारा घोषित किया जाएगा।
- 1.7 प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के बीस (20) गुणा के बराबर कंप्यूटर आधारित परीक्षा की मेरिट की सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
- 1.8 शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली में आयोजित की जाएगी। दिल्ली पुलिस शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) के लिए कार्यक्रम और केंद्र कर्मचारी चयन आयोग को उपलब्ध कराएगी। इसके बाद, कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) में उपस्थित होने के लिए सभी शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र / प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए एक लिंक प्रदान करेगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के संबंध में नोटिस दिल्ली पुलिस को उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- 1.9 शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) के आयोजन के बाद, दिल्ली पुलिस कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रदान किए गए 'वेब-टूल' पर प्रत्येक अभ्यर्थी के परिणाम को अपडेट करेगी जिससे दिल्ली पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक कौशल/ट्रेड परीक्षा आयोजित की जा सके।
- 1.10 सभी पदों के लिए स्किल टेस्ट/ट्रेड टेस्ट दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित किया जाएगा। व्यवहार्यता के आधार पर, स्किल टेस्ट / ट्रेड टेस्ट का परिणाम या तो वेब-टूल पर अपलोड किया जाएगा या दिल्ली पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर्मचारी चयन आयोग को प्रदान किया जाएगा।
- 1.11 अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रह, उनका सत्यापन और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी।
- 1.12 शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) और आवश्यक कौशल/ट्रेड परीक्षाओं में अर्हक घोषित अभ्यर्थियों की सूची में से अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची पद के लिए निर्धारित परीक्षणों/ परीक्षाओं के सिर्फ मेरिट के आधार पर आयोग द्वारा तैयार एवं घोषित की जाएगी और इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। 15% अभ्यर्थियों (श्रेणी-वार) की एक "रिजर्व पैनल / अतिरिक्त सूची" भी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उनकी योग्यता; श्रेणी-वार के अनुसार अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के अलावा तैयार की जाएगी और वही दिल्ली पुलिस को सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे अपलोड नहीं किया जाएगा। "रिजर्व पैनल" दो साल की अवधि या अगली भर्ती के विज्ञापन, जो भी पहले हो, तक के लिए वैध होगा।
- 1.13 परीक्षा-विज्ञप्ति (भौतिक मानकों, चिकित्सा मानकों, आयु, आरक्षण आदि से संबंधित भर्ती नियमों से संबंधित नीतिगत मुद्दों को छोड़कर), ऑनलाइन आवेदनों, कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने और मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित आरटीआई/ लोक शिकायतों पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कार्रवाई की

जाएगी जबकि भर्ती नियमों, स्थायी आदेशों और किसी भी परीक्षा / परीक्षा से संबंधित अन्य आरटीआई / लोक शिकायतें (जैसे दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित पीईएंडएमटी, चिकित्सा परीक्षा, कौशल परीक्षा/ ट्रेड टेस्ट आदि) पर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

- 1.14 परीक्षा की विज्ञप्ति, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन, पीईएंडएमटी या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट-लिस्टिंग और दिल्ली में अभ्यर्थियों द्वारा दायर अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के अंतिम परिणाम की तैयारी से संबंधित अदालती मामलों पर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अन्य क्षेत्रों/दिल्ली के बाहर के ऐसे अदालती मामलों पर कार्रवाई कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी।
- 1.15 अन्य सभी मुद्दों जैसे परीक्षा की योजना, रिक्तियों, शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी), अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रह और उनके सत्यापन, या दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से संबंधित अदालती मामले/आरटीआई/लोक शिकायतें, विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई), समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) पर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- 1.16 गलत सत्यापित डेटा या पीईएंडएमटी/ मेडिकल फिटनेस स्थिति में परिवर्तन के कारण मेरिट/चयन सूची/रिजर्व सूची में परिवर्तन (समावेश/ निकालना) के संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- 1.17 मेरिट/ चयन सूची/ रिजर्व सूची में से किसी भी अभ्यर्थी के गलत समावेश/निकालने के कारण परिणाम में किसी भी परिवर्तन के मामले में, संशोधित परिणाम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किया जाएगा।
- 1.18 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के दौरान किसी भी कदाचार या प्रतिरूपण आदि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को रद्द करने की प्रक्रिया पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- 1.19 दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित पीईएंडएमटीया कंप्यूटर पर टाईपिंग टेस्ट और कंप्यूटर (फॉर्मेटिंग) टेस्ट के दौरान किसी भी कदाचार या प्रतिरूपण आदि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के मामलों पर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

2. वेतनमान: वेतन स्तर-4 (25500-81100 रुपए)

3. **रिक्तियाँ** : रिक्तियों का ब्योरा निम्नानुसार है :-

प्रधान सिपाही (लिपिकीय) -पुरुष

क्र.सं	श्रेणी	सामान्य/ अना.	आकव	अपिव	अजा	अजजा	योग
1	खुली	217	50	123	59	54	503
2	भू.पू.सै.	24	06	14	06	06	56
	योग	241	56	137	65	60	559

खुली श्रेणी की 503 रिक्तियों में से 15 रिक्तियां दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षित है { (40% और उससे अधिक की गति विषयक दिव्यांगता (या तो एक या दोनों पैर प्रभावित) }। उनका पद

सिविलियन प्रकृति का होगा और वे दिल्ली पुलिस की वर्दी नहीं पहनेंगे। पद के लिए आवेदन करते समय इस तरह का दिव्यांगता प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा।

प्रधान सिपाही (लिपिकीय) -महिला

क्र.सं	श्रेणी	सामान्य/ अना.	आकव	अपिव	अजा	अजजा	योग
1	खुली	119	28	67	32	30	276
	योग	119	28	67	32	30	276

खुली श्रेणी की 276 रिक्तियों में से 08 रिक्तियां दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षित है { (40% और उससे अधिक की गति विषयक दिव्यांगता (या तो एक या दोनों पैर प्रभावित) }। उनका पद सिविलियन प्रकृति का होगा और वे दिल्ली पुलिस की वर्दी नहीं पहनेंगे। पद के लिए आवेदन करते समय इस तरह का दिव्यांगता प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा।

- 3.1 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग /ईडब्ल्यूएस की रिक्तियां दिल्ली पुलिस द्वारा समय-समय पर जारी भारत सरकार के निर्देशों/ नियमों के अनुसार पद आधारित रोस्टर के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।
- 3.2 दिल्ली पुलिस ने बताया है कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 10% रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए आरक्षित हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कार्मिक भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- 3.3 आयोग दिल्ली पुलिस द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करेगा। दिल्ली पुलिस की रिक्तियों की संख्या तय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर बनाए रखना और विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है।

4. राष्ट्रीयता/नागरिकता: अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

5. **आयु सीमा**: 01.01.2022 को 18 से 25 वर्ष (अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02-01-1997 से पहले और 01-01-2004 के बाद न हुआ हो)। उपर्युक्त निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में सिर्फ निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी :-

- 5.1 यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का है तो अधिकतम 5 वर्ष तक।
- 5.2 यदि कोई अभ्यर्थी अपिव श्रेणी से संबंधित है तो अधिकतम 3 वर्ष तक। यह छूट उन जातियों के लिए स्वीकार्य है जो केंद्रीय सूची और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी सूची में अधिसूचित हैं।
- 5.3 विधवाओं/ तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हुई महिलाओं और जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, उनके लिए 35 साल (अपिव के लिए 38 साल, अजा/अजजा के लिए 40 साल) तक।
- 5.4 रिक्तियों के विज्ञापन की तारीख से पिछले तीन वर्षों के दौरान खेल में राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले विशिष्ट पुरुष खिलाड़ियों/ महिला खिलाड़ियों के लिए अधिकतम 5 वर्ष तक। खेल का विषय जिसके लिए छूट उपलब्ध है उसका उल्लेख अनुबंध 'क' में किया गया है। खेल प्रमाण पत्र अनुबंध - 'ख' और 'ग' में संलग्न प्रोफार्मा में जारी किया जाएगा, जिसमें राज्य/ राष्ट्रीय खेल संघ के सचिव द्वारा विधिवत सत्यापित

अभ्यर्थी की फोटो होगी। यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है और उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है, तो वह खंड 5.1 में निर्धारित छूट के अलावा ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट के लिए पात्र है। वास्तव में, वह अधिकतम 10 वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए पात्र है।

5.5 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष, अपिव के लिए 43 वर्ष और अजा/अजजा के लिए 45 साल तक की छूट स्वीकार्य है। "विभागीय अभ्यर्थी" से अभिप्राय है कि व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस में नियमित और निरंतर तीन वर्ष की सेवा की हो, जो अन्यथा सभी शैक्षणिक और अन्य शारीरिक योग्यताओं को पूरा करता हो।

5.6 भूतपूर्व सैनिकों को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। उन्हें सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि को उनकी वास्तविक आयु और परिणामी आयु से घटाने की अनुमति होगी, इस प्रकार प्राप्त आयु, निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्षसे अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.7 दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट 35 वर्ष (अपिव के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष) तक स्वीकार्य है। केवल 40% और उससे अधिक (या तो एक या दोनों पैर प्रभावित) की गति विषयक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी।

टिप्पणी 1: अपिव श्रेणी के तहत लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी केंद्रीय सूची में अधिसूचित जातियों के अनुसार होंगे। यह छूट उन अभ्यर्थियों के लिए भी स्वीकार्य होगी जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपिव प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रमाण पत्र इस उद्देश्य के लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। कोई अन्य प्रमाण पत्र पर्याप्त प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 2: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं। **अनुबंध- 'घ'** और **'ङ'** के रूप में संलग्न प्रारूप के अनुसार पीई एंड एमटी के समय उनके दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र भी उनके पास होना चाहिए।

टिप्पणी 3: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं। **अनुबंध- 'च'** के रूप में संलग्न प्रारूप के अनुसार पीई एंड एमटी के समय उनके दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र भी उनके पास होना चाहिए।

टिप्पणी 4: दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं। पीई एंड एमटी के समय उनके पास अपने दावे के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र भी होने चाहिए।

टिप्पणी 5: ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई जन्म तिथि वही हो जो मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज की गई हो और उसी जन्म-तिथि को आयोग द्वारा आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा और बाद में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार या अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.8 उपरोक्त पैरा 5.1 से 5.7 के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट निम्नानुसार है:

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में अनुज्ञेय छूट
01	अजा/ अजजा	05 वर्ष
02	अपिव	03 वर्ष
03	शा.दि (अनारक्षित)	10 वर्ष
04	शा.दि (अपिव)	13 वर्ष

05	शा.दि (अजा/ अजजा)	15 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक (भू.सै.)	ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से की गई सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
08	विशेष योग्यता प्राप्त खिलाड़ी जिन्होंने रिक्रियों के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किया है या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है (अजा/अजजा को छोड़कर)।	05 वर्ष
09	विशेष योग्यता प्राप्त खिलाड़ी जिन्होंने रिक्रियों के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किया है या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है (अजा/अजजा)।	10 वर्ष
10	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अनारक्षित)	40 वर्ष तक
11	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अपिव)	43 वर्ष तक
12	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अजजा/अजा)	45 वर्ष तक
13	विधवाएं/ तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अना.)।	35 वर्ष तक
14	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से / न्यायिकरूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अपिव)।	38 वर्ष तक
15	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से / न्यायिकरूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा/अजजा)।	40 वर्ष तक

6. दिल्ली पुलिस के पुलिस कर्मियों / मल्टी-टास्किंग स्टाफ के आश्रितों के लिए छूट:

6.1 सेवारत, सेवानिवृत्त, या दिवंगत दिल्ली पुलिस कर्मियों/ दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पुत्रों/पुत्रियों, जो शारीरिक मानक संबंधी सामान्य शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उनके मामले में निम्नलिखित छूट स्वीकार्य हैं:-

1. ऊंचाई (पुरुष /महिला) : 5 सेंटीमीटर की छूट
2. सीना (केवल पुरुष) : 5 सेंटीमीटर की छूट

6.2 यह छूट केवल उन दिल्ली पुलिस कर्मियों /मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पुत्रों/ पुत्रियों को ही दी जाएगी, जिन्हें दंड के रूप में बर्खास्तगी/ निष्कासन/ पद से हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा नहीं दी गई है।

नोट :1 दिल्ली पुलिस के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ पहाड़ी क्षेत्र श्रेणी के पुलिस कर्मियों और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के आश्रित दोहरी छूट पाने के पात्र नहीं होंगे। वे या तो अपनी श्रेणी में या दिल्ली पुलिस के पुलिस कर्मियों और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के आश्रित (वार्ड) के रूप में छूट का लाभ उठा सकते हैं।

नोट :2 इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को केवल उस संबंधित जिला/यूनिटों के उप पुलिस आयुक्त / अपर उप पुलिस आयुक्त/ सहायक पुलिस आयुक्त / मुख्यालय [पुलिस मुख्यालय स्टाफ के मामले में उप पुलिस आयुक्त / मुख्यालय या सहायक पुलिस आयुक्त / सीआर (पुलिस मुख्यालय)], जहां पुलिस कर्मियों की अंतिम तैनाती थी, द्वारा संबंधित सेवा रिकार्ड के सत्यापन के पश्चात जारी अनुबंध- 'छ' के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अंतिम रूप से परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है।

7. भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा: भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 14-04-1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/5/85-स्था. (एससीटी) में यथा-परिभाषित भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा निम्नानुसार है:

"एक भूतपूर्व सैनिक" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है, जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौ सेना और वायु सेना में एक लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की है और

- i) जो अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद ऐसी सेवा से सेवा निवृत्त हुआ/हुई है; या
- ii) जिनकी सेवा निवृत्ति पंजिका में भूतपूर्व सैनिक के रूप में पृष्ठांकन है; या
- iii) जिसे चिकित्सा आधार पर अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो जोकि सैन्य सेवा के रूप में मानी जाए तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य निश्चिन्ता पेंशन दी गई हो; या
- iv) जिसे कर्मचारियों की संख्या में कटौती के परिणामस्वरूप, स्वयं के अनुरोध के बिना ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या
- v) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के प्रादेशिक सेना के कार्मिक भी शामिल हैं:
 - क) निरंतर सन्निहित सेवा के पेंशन धारक,
 - ख) सैन्य सेवा के कारण निश्चित व्यक्ति; और
 - ग) वीरता पुरस्कार विजेता।

तथापि प्रादेशिक सेना के कार्मिकों को दिनांक 15-11-86 से पूर्व सैनिक माना जाएगा।

भूतपूर्व सैनिक जिन्हें केंद्रीय राजस्व से भुगतान किया जाता है, वे नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर प्रधान सिपाही (लिपिकीय) के रूप में पुनः सूचीबद्ध होने के पात्र हैं, यदि उनकेसेवा निवृत्ति प्रमाण पत्र में पिछली सेवा को अच्छा या उच्च वर्गीकरण / ग्रेडिंग के रूप में दर्शाया गया हो, बशर्ते कि वे खुली प्रतियोगिता हेतु प्रधान सिपाही (लिपिकीय) के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप हों और समय-समय पर पुलिस आयुक्त द्वारा अनिवार्य स्थाई आदेश जारी करके निर्धारित क्षमता /दक्षता परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं। वे भर्ती के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार पुलिस सेवा के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट हैं।

नोट 1: ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने अपने पुनर्नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ लेते हुए केंद्र सरकार (राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त निकायों / सांविधिक निकायों / राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) के अधीन समूह 'ग' और 'घ' पदों पर नियमित आधार पर पहले ही रोजगार हासिल कर लिया है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत शुल्क में छूट या आरक्षण के लाभ का दावा करने के हकदार नहीं हैं। तथापि वे केवल आयु में छूट के पात्र हैं।

नोट 2: सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि को भी आयु में छूट के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।

नोट 3: आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/ सेवा के लिए आवेदनपत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो, अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा।

स्पष्टीकरण

संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्त होने पर, "भूत पूर्व सैनिक" की श्रेणी में आएंगे, उन्हें सेवावधि की निर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जब तक वे संघ के सशस्त्र बलों में रहने की निर्दिष्ट अवधि को पूरा नहीं कर लेते, तब तक उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऐसे सभी अभ्यर्थी जो सशस्त्र बलों में सेवारत हैं और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा कराना अनिवार्य होगा जिसमें सशस्त्र बलों से उनकी सेवा निर्मुक्ति की तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त होने की तिथि/सशस्त्र बलों में रहने की निर्दिष्ट अवधि पूरी करने की तिथि आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि से एक वर्ष के भीतर होनी चाहिए। अनापत्ति प्रमाणपत्र में सशस्त्र बलों से सेवा मुक्ति की तारीख का कोई उल्लेख नहीं होने पर अनापत्ति प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना कोई कारण बताए उनके आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

एक मैट्रिक पास भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक भी शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र (स्नातक प्रमाणपत्र या नौ सेना या वायु सेना में तदनुसूची प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की है, उसे पद के लिए आवेदन करने हेतु पात्र समझा जाएगा।

8. प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाणपत्रों का प्रारूप:

- 8.1 जो अभ्यर्थी जो आरक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्ति चाहते हैं या आयु-छूट चाहते हैं, जब दिल्ली पुलिस द्वारा शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा, कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा/ कंप्यूटर (फ़ोर्मेटिंग) परीक्षा के दौरान ऐसे प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे, तो उन्हें निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाणपत्र जमा कराना होगा। अन्यथा, अजा /अजजा /अपिव /आकव /दिव्यांगजन/ भूपूसै श्रेणी के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता/आवेदन पर अनारक्षित (यूआर)/संबंधित श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा। प्रमाणपत्रों के प्रारूप इस परीक्षा विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (1996 का 1) के तहत जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी मान्य होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्रमाणपत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
- 8.2 विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के प्रमाणपत्रों के लिए महत्वपूर्ण तिथि शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीई एंड एमटी) की तारीख को होगी।
- 8.3 अपिव वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके पास जाति / समुदाय प्रमाणपत्र है और वह निर्णायक तिथि पर क्रीमी लेयर में नहीं आता / आती है।

8.4 अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि उपरोक्त के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता की पुष्टि होने तक उनकी अभ्यर्थिता अनंतिम रहेगी। अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि यदि वे धोखा-धड़ी से अजा / अजजा / अपिव / आकव / दिव्यांगजन / भूपूसै होने का दावा करते हैं या कोई अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो उन्हें आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से वारित कर दिया जाएगा।

9. **अनिवार्य योग्यता (पद के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थियों का 10+2 उत्तीर्ण या उनके पास समकक्ष योग्यता होनी चाहिए) :**

(i) आवेदनपत्र भरने के समय किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10+2 (उच्चतर माध्यमिक) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(ii) व्यावसायिक उपलब्धियां:

- अंग्रेजी टंकण की गति - 30 शब्द प्रति मिनट
या
- हिंदी टंकण की गति - 25 शब्द प्रति मिनट

9.1 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की आधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान किए गए प्रमाणपत्र केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं, बशर्ते कि उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो। तदनुसार, यदि ऐसी डिग्री को उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्यता नहीं दी गई है जब अभ्यर्थियों द्वारा वह योग्यता हासिल की गई हो, तो शैक्षिक योग्यता के उद्देश्य के लिए उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम) विनियम, 2017 के अनुसार दिनांक 23.06.2017 को भारत के राजपत्र के भाग-III (8) (v) में प्रकाशित, मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम माध्यम से अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, औषध विज्ञान, वास्तुकला और भौतिक चिकित्सा के कार्यक्रमों को अनुमति नहीं है। तथापि, मुकुल कुमार शर्मा और अन्य बनाम एआईसीटीई और अन्य के मामले में डब्लू पी (सी) में एम ए सं. 3092/2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11.03.2019 के आदेश के अनुसरण में बी.टेक डिग्री / अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, जो इग्नू द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित छात्रों को प्रदान किया गया था, जहाँ कहीं भी लागू हो, उसे मान्य माना जाएगा।

9.3 दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हक घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि को या उससे पहले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्जित करने के साक्ष्य के रूप में इंटरमीडिएट / हायर सेकेंडरी/ 10 + 2 / सीनियर सेकेंडरी को पास करने के प्रासंगिक प्रमाणपत्र, जैसे- अंक-पत्र, अनंतिम प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें विफल होने पर दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी यह साबित करने में सक्षम होंगे कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तारीख को या उससे पहले घोषित कर दिया गया था और उसे उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था, उन्हें भी शैक्षिक योग्यता को पूरा करने में सक्षम माना जाएगा। **यह दोहराया जाता है कि अपेक्षित शैक्षिक योग्यता का परिणाम बोर्ड**

/ विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा निर्णायक कट-ऑफ तिथि तक केवल परिणाम तैयार किया जाना शैक्षिक योग्यता की अपेक्षा को पूरा नहीं करता है।

- 9.4 पद के लिए शैक्षिक योग्यता और अन्य शारीरिक मानक वही होंगे जो ऐसे पद पर सीधी भर्ती के लिए नियमों में निर्धारित हैं। दिल्ली पुलिस [नियुक्ति और भर्ती] नियम, 1980 में निर्धारित मामलों और तरीकों को छोड़कर स्थायी आदेश में प्रदान की गई छूट के अलावा अन्य किसी भी अर्हता या मानकों में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
- 9.5 समकक्ष शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित अधिकारियों से प्राप्त प्रासंगिक समानता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय दिल्ली पुलिस द्वारा लिया जाएगा।

10. एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को प्रोत्साहन :

10.1 'एनसीसी प्रमाणपत्र' धारकों को प्रोत्साहन निम्नलिखित स्तरों पर दिया जाएगा :

प्रमाणपत्र श्रेणी	प्रोत्साहन/बोनस अंक
एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5%
एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3%
एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2%

नोट : यह लाभ केवल दस्तावेज सत्यापन (अर्थात पीईएंडएमटी) के समय उनके दावों (सत्यापन के अधीन) का समर्थन करने वाले मूल प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। यह लाभ भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध नहीं है।

10.2 **अतिरिक्त अंकों का महत्व :** राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) द्वारा प्रदान की गई डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाणपत्र धारक अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे जो निम्नलिखित मापकों पर होंगे:-

डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्राप्त श्रेणी	दिए जाने वाले अतिरिक्त अंक
विशेष योग्यता	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5 %
प्रथम श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 4 %
द्वितीय श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3 %
पास श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2 %

नोट : लाभ केवल दस्तावेज सत्यापन (अर्थात पीईएंडएमटी) के समय उनके दावों (सत्यापन के अधीन) का समर्थन करने वाले मूल प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

11. आवेदन कैसे करें:

11.1 आवेदन क.च.आ. मुख्यालय की वेबसाइट अर्थात <https://ssc.nic.in> पर केवल ऑनलाइन ही जमा किए जाने चाहिए। विस्तृत निर्देशों के लिए कृपया **अनुबंध-I** और **अनुबंध -II** देखें। एकवारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदनपत्र का नमूना प्रपत्र क्रमशः **अनुबंध-I क** और **अनुबंध- II क** के रूप में

संलग्न है।

- 11.2 ऑनलाइन आवेदनपत्र में अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और बिना चश्मे का होना चाहिए।
- 11.3 यदि अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है तो उसका/ उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। फोटोग्राफ के जो नमूने स्वीकार्य /अस्वीकार्य हैं, उन्हें अनुबंध-ठ में दिया गया है।
- 11.4 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 16-06-2022 (2300 बजे) है।
- 11.5 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमाकर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा हो सकती है और लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।
- 11.6 आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत न करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 11.7 ऑनलाइन आवेदन जमाकरने से पहले अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदन के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है।
12. आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका :
 - 12.1 देय शुल्क: 100 / - रुपये (एकसौ रुपए मात्र)।
 - 12.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), दिव्यांगजन से संबंधित अभ्यर्थियों और आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।
 - 12.3 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करके एसबीआई चालान बनवा कर किया जा सकता है।
 - 12.4 अभ्यर्थी ऑनलाइन शुल्क का भुगतान दिनांक-17.06.2022 (2300बजे) तक कर सकते हैं। तथापि वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे 20.06.2022 तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में नकद भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने दिनांक 18.06.2020 (2300 बजे) तक चालान बनवा लिया है।
 - 12.5 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं दी गई है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हो गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदनपत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए "भुगतान की स्थिति" लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 - 12.6 एक बार भुगतान किया गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

13. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [21.06.2022 से 25.06.2022 (23:00 बजे)] :

- 13.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन संबंधी मापदंडों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 5 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
- 13.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात् यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 13.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।
- 13.4 नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
- 13.5 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो।
- 13.6 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपये क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।
- 13.7 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
- 13.8 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

14. परीक्षा केंद्र :

- 14.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदनपत्र में केंद्र (केंद्रों) को इंगित करना होगा जिसमें वह परीक्षा देना चाहता / चाहती है। परीक्षा केंद्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों जिनके अंतर्गत ये परीक्षा केंद्र स्थित हैं, के विवरण इस प्रकार हैं:

क्र. स.	परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के	क्षेत्रीय कार्यालयों के पते / वेबसाइट
---------	------------------------------	--	---------------------------------------

		क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य / संघ शासित राज्य	
1	भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), पूर्णिया (3209), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010), मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013)	मध्य क्षेत्र (म.क्षे.) / बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज - 211001। (www.ssc-cr.org)
2	पोर्ट ब्लेयर (4802), धनबाद (4206), हजारीबाग (4204), जमशेदपुर (4207), रांची (4205), बालासोर (ओडिशा) (4601), बरहामपुर (ओडिशा) (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), डेंकानाल (4611), राउरकेला (4610), संबलपुर (4609), गंगटोक (4001), आसनसोल (4417), बर्दवान (4404), दुर्गापुर (4426), कल्याणी (4419), कोलकाता (4410), सिलीगुड़ी (4415))	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) / अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, पहली एमएसओ बिल्डिंग, (8वीं मंजिल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020 (www.sscer.org)
3	कवरत्ती (9401), बेलगावी (9002), बेंगलुरु (9001), हुबली (9011), कलबुर्गी (गुलबर्गा) (9005), मंगलुरु (9008), मैसूर (9009), शिवमोग्गा (9010), उडुपी (9012)। एर्नाकुलम (9213), कन्नूर (9202), कोल्लम (9210), कोट्टायम (9205), कोझीकोड (9206), त्रिशूर (9212), तिरुवनंतपुरम (9211)।	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.) / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (क.के.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलुरु, कर्नाटक-560034 (www.ssckkr.kar.nic.in)
4	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), सागर (6015), उज्जैन (6016), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग-भिलाई (6205))	मध्य प्रदेश क्षेत्र (म.प्र.क्षे.) / छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, निवेश भवन, एलआईसी कैंपस-2, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 (www.sscmpr.org)

5	ईटानगर (5001), डिब्रूगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), चुराचंदपुर (5502), इंफाल (5501), उखरूल (5503), शिलांग (5401), आइजोल (5701), दीमापुर (5301), कोहिमा (5302), अगरतला (5601)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र (उ.पू.क्षे.) / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।	क्षेत्रीय निदेशक (उ.पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट, बेलटोला-बशिष्ठ रोड, पीओ असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 (www.sscner.org.in)
6	देहरादून (2002), हल्द्वानी (2003), हरिद्वार (2005), रुड़की (2006), दिल्ली (2201), अजमेर (2401), अलवर (2402), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), कोटा (2407), श्रीगंगानगर (2408), उदयपुर (2409), सीकर (2411)	उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) / दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (www.sscnr.nic.in)
7	चंडीगढ़/मोहाली (1601), अंबाला (1801), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) (1007) लेह (1005), अमृतसर (1404), जालंधर (1402), पटियाला (1403)	उत्तर पश्चिमी क्षेत्र (उ.प.क्षे.) / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पंजाब	क्षेत्रीय निदेशक (उ.प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 3, भूतल, केंद्रीय सदन, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009 (www.sscnwr.org)
8	चिराला (8011), गुंटूर (8001), काकीनाडा (8009), कुरनूल (8003), नेल्लोर (8010), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विजयनगरम (8012), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), चेन्नै (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), सेलम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), तिरुनेलवेली (8207), वेल्लोर (8208), हैदराबाद (8601), करीमनगर (8604), वारंगल (8603)	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.) / आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैम्पस, कॉलेज रोड, चेन्नै, तमिलनाडु-600006 (www.sscsr.gov.in)
9	पणजी (7801), अहमदाबाद (7001), आनंद (7011), गांधीनगर (7012), मेहसाणा (7013), राजकोट (7006), सूरत (7007), वडोदरा (7002), अमरावती (7201), औरंगाबाद (7202), जलगांव (7214), कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204), नागपुर (7205), नांदेड़ (7206), नासिक (7207), पुणे (7208)	पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.) / दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, साउथ विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र-400020 (www.sscwr.net)

- 14.2 अभ्यर्थी को एक ही क्षेत्र के भीतर प्राथमिकता के क्रम में तीन केन्द्रों का विकल्प देना होगा। किसी भी परिस्थिति में केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।
- 14.3 आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। आयोग को किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार भी है।

15. परीक्षा की रूप रेखा / भर्ती का तरीका:

चयन प्रक्रिया में दिए गए क्रम में निम्नलिखित अनिवार्य परीक्षाएं होंगी : -

क्र.सं.	टेस्ट/परीक्षा	अधिकतमअंक/ अर्हकारी
(i)	क.च.आ. द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा	100 अंक
(ii)	दिल्ली पुलिस द्वारा शारीरिक क्षमता और मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी)	अर्हकारी
(iii)	दिल्ली पुलिस द्वारा कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा	25 अंक
(iv)	दिल्ली पुलिस द्वारा कंप्यूटर (फॉर्मेटिंग) परीक्षा	अर्हकारी

- 15.1 सभी अभ्यर्थियों (महिला और पुरुष) को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होने वाली डेढ़ घंटे (90 मिनट) की कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी।
- 15.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे।
- 15.3 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक काटे जाएंगे।
- 15.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषयों पर प्रश्नपत्र केवल हिंदी और अंग्रेजी में होंगे : -

विषय		प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
भाग-क	सामान्य जानकारी	20	20
भाग-ख	संख्यात्मक अभिरूचि (मूल अंकगणितीय कौशल)	20	20
भाग-ग	सामान्य बुद्धिमत्ता	25	25
भाग-घ	अंग्रेजी भाषा (सामान्य ज्ञान)	25	25
भाग-ड.	कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, संचार, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और वेब ब्राउजर आदि	10	10
कुल		100	100

- 15.6 दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को परीक्षा के लिए कोई प्रलिपिक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
- 15.7 विज्ञप्ति में दी गई परीक्षा की तिथियां अनंतिम हैं। परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी।

- 15.8 परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन/ पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- 15.9 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।
- 15.10 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक काटे जाएंगे। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए।
- 15.11 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आयोग द्वारा प्रकाशित दिनांक 07-02-2019 की विज्ञप्ति संख्या: 1-1/2018-नी.एवं यो-1 के तहत प्रकाशित सूत्र का प्रयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अंतिम योग्यता और कट-ऑफ निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।
- 15.12 परीक्षा के बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अनंतिम उत्तर-कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर-कुंजियों को देखें और यदि कोई अभ्यावेदन देना चाहे तो आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर, 100/- रुपये प्रति प्रश्न की दर से भुगतान करके, ऑनलाइन माध्यम से अभ्यावेदन दे सकता है। उत्तर-कुंजियों को अंतिम रूप देने से पहले, उत्तर-कुंजियां अपलोड करने के समय आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर-कुंजियों से संबंधित ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन की जांच की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। किसी अन्य तौर-तरीकों, जैसे- पत्र, आवेदन, ईमेल आदि के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

16. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए निर्देशात्मक पाठ्यक्रम:

(क) सामान्य जानकारी: अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

(ख) संख्यात्मक अभिरूचि: पूर्णांक का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, अनुपात तथा समानुपात, वर्गमूल, औसत, व्याज (साधारण एवं चक्रवृद्धि), लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यवसाय, मिश्रण एवं बंधन की त्रिया, समय एवं दूरी, समय एवं कार्य, स्कूली बीजगणित की आधारभूत बीजगणित संक्रियाएं और प्रारंभिक करणी (सरल निर्मेय) और रेखीय समीकरण के रेखाचित्र त्रिकोण एवं इसके विभिन्न प्रकार के केंद्र, त्रिकोणों की समशेषता एवं समरूपता, वृत्त एवं इसकी जीवा, स्पर्शरेखा, वृत्त जीवाओं द्वारा अंतरित कोण दो या अधिक वृत्तों की सामान्य स्पर्शरेखा, त्रिकोण, चतुर्भुज, नियत बहुभुज, वृत्त, सम प्रिज्म, सम वृत्तीय शंकु, सम वृत्तीय बेलन, गोला, अर्धगोला, आयताकार समांतर षट्फलक, त्रिकोण अथवा वर्ग आधार वाला नियत सम पिरामिड, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, अंश और त्रिज्या कोण की मॅप, मानक सारूप्यता, संपूरक कोण, ऊंचाई व दूरी, आयतचित्र, बारंबारता बहुभुज, दंड चित्र (बार-डाइग्राम), पाई-चार्ट।

(ग) सामान्य बुद्धिमत्ता : इसमें शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग, विवरण निष्कर्ष, न्यायसंगत तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इसमें विषय हैं: सीमेंटिक समानता, प्रतीकात्मक/ अंक संबंधी

समानता, आंकड़े संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/ अंक संबंधी वर्गीकरण, सीमेंटिक श्रेणी, अंक वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग एवं डिकोडिंग, संख्यात्मक संचालन, प्रतीकात्मक संचालन, प्रवृत्तियां, अंतराल अभिविन्यास, अंतराल दृश्यता (विज्युलाइजेशन), वैन डाइग्राम, रेखाचित्र अनुमिति, पंचड होल/ पैटर्न फ़ोलिडिंग व अन्फोलिडिंग, अंकीय पैटर्न फ़ोलिडिंग एवं पूर्ण करना, सूचीकरण, पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केंद्र कोड/ अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/ अंक कोडिंग/ डिकोडिंग व वर्गीकरण, अन्तः स्थापित आंकड़े, आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमता, सामाजिक बुद्धिमता और यदि कोई हो तो अन्य उप विषय।

(घ) **अंग्रेजी भाषा** : त्रुटि का पता लगाना, खाली स्थान भरना, समानार्थक/भिन्नार्थक शब्द, विपरीतार्थक वर्तनी/ गलत वर्तनी वाले शब्दों का पता लगाना, मुहावरे एवं सूक्तियां, एक शब्द प्रतिस्थापन, वाक्यों में सुधार, क्रियाओं के कर्तृवाच्य/कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथं में रूपांतरण, वाक्यांशों का फेरबदल, पाठ में वाक्यों का फेरबदल, पाठ में छूटे हुए शब्द का पता करना, परिज्ञान पाठ।

(ङ) **कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, संचार, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब (डबल्यूडबल्यूडबल्यू) और वेब ब्राउजर आदि।**

इस प्रश्नपत्र में निम्नलिखित पर प्रश्न होंगे :

1. वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व [वर्ड प्रोसेसिंग प्रारंभिक, दस्तावेज को खोलना और बंद करना, पाठ रचना (टेक्स्ट क्रीएशन), पाठ स्वरूपण (टेक्स्ट का फॉर्मेट करना) और इसके प्रस्तुतीकरण की विशेषताएं (प्रेजेंटेशन फीचर्स)]।
2. एमएस एक्सेल (स्प्रेड शीट के तत्व, सेल्स का संपादन, कार्य और सूत्र, फंक्शन और फार्मूला)।
3. संचार (ई-मेल की मूल बातें, ई-मेल भेजना/प्राप्त करना और उससे संबंधित कार्य)।
4. इंटरनेट, डबल्यूडबल्यूडबल्यू और वेब ब्राउजर (इंटरनेट, इंटरनेट पर सेवाएं, यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी, वेब साइट, ब्लॉग, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग, ई-बैंकिंग) आदि।

17. पीईएंडएमटी में बैठने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा

17.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित किया जाएगा।

17.2 प्रत्येक श्रेणी अर्थात सामान्य /अजा /अजजा /अपिव/ ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक (श्रेणी-वार) में रिक्तियों की संख्या के बीस (20) गुणा के बराबर कंप्यूटर आधारित परीक्षा की मेरिट की सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीई एवं एमटी) में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। यदि कटऑफ अंकों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, तो संबंधित श्रेणी के लिए उस कटऑफ के सभी अभ्यर्थियों को पीई एवं एमटी के लिए बुलाया जाएगा।

17.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में रिक्तियों की संख्या का 20 गुणा दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) सीधे कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे क्योंकि उन्हें शारीरिक क्षमता और मापदंड परीक्षण (पीई एवं एमटी) से छूट दी गई है।

17.4 उपरोक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करने वाले सामान्य/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों, 35% अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, कुल मिलाकर 30% अंक प्राप्त करनेवाले दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) /भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण माना जा सकता है। यदि अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, तो कर्मचारी चयन आयोग प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से प्राप्त न्यूनतम अंककम कर सकता है।

18. शारीरिक क्षमता परीक्षा (अर्हक) :

क) पुरुष अभ्यर्थी:

भूतपूर्व सैनिकों और विभागीय अभ्यर्थियों (आयु-वार) सहित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निम्नानुसार होंगे:

आयु	दौड़: 1600 मीटर	लम्बी कूद	ऊँची कूद
30 वर्ष तक	07 मिनट	12½ फीट (12'6")	3½ फीट (3'6")
30 से 40 वर्ष तक	08 मिनट	11½ फीट (11'6")	3¼ फीट (3'3")
40 वर्ष से ऊपर	09 मिनट	10½ फीट (10'6")	3 फीट

ख) महिला अभ्यर्थी:

विभागीय अभ्यर्थियों और विधवा/ तलाक़शुदा/न्यायिक रूप से अलग हुई महिला अभ्यर्थियों (आयु-वार) सहित महिला अभ्यर्थियों के लिए निम्नानुसार होंगे:

आयु	दौड़ : 800 मीटर	लम्बी कूद	ऊँची कूद
30 वर्ष तक	05 मिनट	9 फीट	3 फीट
30 से 40 वर्ष तक	06 मिनट	8 फीट	2½ फीट (2'6")
40 साल से ऊपर	07 मिनट	7 फीट	2¼ फीट (2'3")

टिप्पणी 1 :-वे अभ्यर्थी जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करते हैं, वे लंबी कूद और तदनंतर ऊँची कूदमें उपस्थित होने के पात्र होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए तीन अवसरों में किसी भी अवसर में उसे लंबी कूद और ऊँची कूद को पार करना है। दौड़, लंबी कूद और ऊँची कूद में अयोग्य होने पर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

टिप्पणी 2 :-"महिला अभ्यर्थी, जो पीई एंड एमटी के समय या तो गर्भवती हैं, या एक बच्चे को जन्म दिया है या गर्भपात हो गया है, उन्हें शारीरिक क्षमता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उन्हें प्रसूति समाप्त होने तक अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा। तब तक ऐसे मामलों का परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा जा सकता है और रिक्तियों को आरक्षित रखा जाएगा।

प्रसूति की समाप्ति के छह सप्ताह बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) के लिए उसकी फिर से जांच की जाएगी, जो एक पंजीकृत चिकित्सक से फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

प्रसव की अवधि निम्नानुसार होगी: -

- i) बच्चे के जन्म देने से छह महीने तक।
- ii) गर्भपात की तिथि से 45 दिनों तक।

यदि उसे पीई एंड एमटी के दौरान अर्हक घोषित किया जाता है, उसका परिणाम मेरिट के अनुसार घोषित किया जाएगा। उन्हें आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त किया जाएगा और समय-समय पर संशोधित सरकार के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता के लाभ की अनुमति दी जाएगी।

शारीरिक मापदंड (पुरुष एवं महिला)

क) पुरुष अभ्यर्थी:

(क) ऊंचाई:- 165 सेमी., इनके लिए 5 सेमी. तक की छूट:-

(i) पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात गढ़वालियों, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर का कश्मीर क्षेत्र और लद्दाख (इस छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक माप परीक्षा के समय अपने निवास स्थान के सक्षम प्राधिकारी अर्थात डीसी / डीएम / एसडीएम या तहसील द्वारा जारी इस तरह का प्रमाणपत्र (पहाड़ी क्षेत्र प्रमाण-पत्र) प्रस्तुत करना होगा)।

(ii) अजजा अभ्यर्थियों।

(iii) दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टाफ के पुत्रों के लिए।

(ख) सीना: 78 सेमी.-82 सेमी. (न्यूनतम 4 सेमी विस्तार के साथ), इनके लिए 5 सेमी. तक की छूट:-

(i) पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए, जिसके लिए उपर्युक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ii) अजजा अभ्यर्थियों।

(iii) दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टाफ के पुत्रों के लिए।

ख) महिला अभ्यर्थी:-

ऊंचाई:- 157 सेमी., इनके लिए 5 सेमी. तक की छूट:-

(i) पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात गढ़वालियों, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर का कश्मीर क्षेत्र और लद्दाख (इस छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक माप परीक्षा के समय अपने निवास स्थान के सक्षम प्राधिकारी अर्थात डीसी / डीएम / एसडीएम या तहसील द्वारा जारी इस तरह का प्रमाणपत्र (पहाड़ी क्षेत्र प्रमाण-पत्र) प्रस्तुत करना होगा)।

(ii) अजा/ अजजा अभ्यर्थियों।

(iii) दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टाफ के पुत्रियों के लिए।

19. शारीरिक मापन : शारीरिक मापन परीक्षण केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का किया जाएगा जो शारीरिक क्षमता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं।
20. दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) अभ्यर्थियों का कोई शारीरिक क्षमता और शारीरिक मापन परीक्षण नहीं: दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) अभ्यर्थियों (पुरुष / महिला) को शारीरिक क्षमता और मापन परीक्षण से छूट दी जाएगी।
21. चिकित्सा मानक: अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उन्हें कोई शारीरिक दोष विकृति या बीमारी नहीं होनी चाहिए। दोनों आँखों की दृष्टि चश्मे के साथ या बिना चश्मे के दृष्टि 6/12 होनी चाहिए। इस मामले में किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों को कोई छूट नहीं दी जाती है।

- 21.1 **दिव्यांगजनों के लिए:-** अच्छा स्वास्थ्य, दोनों आंखों में चश्मे के साथ या बिना चश्मे के दृष्टि 6/12। 40% और उससे अधिक (एक पैर या दोनों पैर प्रभावित) चालन संबंधी दिव्यांगता अनुमत्य होगी। इस पद के लिए शारीरिक अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं : -

(एफ, पीपी, एल, बी, एस, बीएल)	
कोड	शारीरिक अपेक्षाएं
एफ	(उंगलियों से) जोड़-तोड़ करके किया गया कार्य
पीपी	खींचकर और धक्का देकर किया गया कार्य।
एल	उठाकर किया गया कार्य।
बी	झुककर किया गया कार्य।
एस	(बेंच या कुर्सी पर) बैठकर किया गया कार्य
बीएल	दोनों पैर प्रभावित हैं लेकिन हाथ नहीं।

22. शारीरिक क्षमता और मापन परीक्षा (पीईएंडएमटी)

- 22.1 केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही शारीरिक क्षमता और मापन परीक्षण (पीईएंडएमटी) के लिए बुलाया जाएगा।
- 22.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद पीईएंडएमटी का आयोजन 03 केंद्रों नामतः दिल्ली पुलिस अकादमी परिसर/ वजीराबाद, दिल्ली अकादमी परिसर-II /झरोदाकलाँ और न्यू पुलिस लाइन, किंग्स वे कैम्प, दिल्ली में किया जाएगा।
- 22.3 पीईएंडएमटी में उपस्थित होने के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को पहले अधिग्रहित क्षेत्र (होलिंडिंग एरिया) में रिपोर्ट करनी चाहिए। अधिग्रहित क्षेत्र के कर्मचारी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो की जांच करेंगे ताकि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रतिरूपण न किया जा सके। इसके बाद अभ्यर्थियों को चेस्ट नंबर आवंटित किया जा सकता है और आधिकारिक स्टाफ (होलिंडिंग स्टाफ) दौड़ प्रतिस्पर्धा के लिए बैच तैयार करेगा।
- 22.4 अधिग्रहित क्षेत्र (होलिंडिंग एरिया) अभ्यर्थियों का सत्यापन / पहचान करने के बाद, अभ्यर्थियों को चेस्ट नंबर दिया जाएगा और आधिकारिक स्टाफ (होलिंडिंग स्टाफ) दौड़ प्रतिस्पर्धा के लिए बैच तैयार करेगा।
- 22.5 दौड़ में आर एफ आई डी टैग (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग) का प्रयोग किया जाएगा।
- 22.6 डिजिटल उपकरणों के माध्यम से ऊंचाई और सीने की माप ली जाएगी।
- 22.7 आयु, शिक्षा, अजा / अजजा / अपिव / आकव, पहाड़ी क्षेत्रों, अनापत्ति प्रमाणपत्र / सेवा निवृत्ति प्रमाणपत्र (भूतपूर्व सैनिकों के मामले में), खेलों से संबंधित प्रमाणपत्र, छुट चाहने वाले दिल्ली के पुलिस कर्मियों के आश्रितों (पुत्रों / पुत्रियों) को जारी प्रमाणपत्र आदि मूल दस्तावेज / प्रमाणपत्र केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के जाँचे जाएंगे जिन्होंने पीईएंडएमटी (दौड़, लंबी / ऊंची कूद और शारीरिक माप) की सभी प्रतिस्पर्धाओं में सफलता प्राप्त करते हैं। पीईएंडएमटी के समय अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच करने के लिए उन्हें सभी दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की स्वः सत्यापित प्रतियां जमा करनी होंगी।
- 22.8 यदि कोई अभ्यर्थी पीईएंडएमटी प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। तथापि उसे 05 कार्य दिवसों के भीतर अपेक्षित दस्तावेज जमा करने का अवसर दिया जा सकता है। अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद योग्यता के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता पर फिर से विचार किया जाएगा।
- 22.9 दिव्यांगजनों (पीडब्लूडी) के दस्तावेजों की जांच / बायोमेट्रिक मैपिंग / सत्यापन भर्ती सेल, एनपी एल, दिल्ली के कार्यालय में अलग से किया जाएगा।

22.10 पीईएंडएमटी प्रक्रिया का परिणाम प्रत्येक अभ्यर्थी को यथोचित रसीद के तहत प्रदान किया जा सकता है जिसमें स्पष्ट रूप से अर्हता / अनर्हता दर्शाई जाएगी। तथापि, अनर्हता/ अस्वीकरण का कारण स्पष्ट किया जा सकता है। अर्हता / अनर्हता के मामले में "अर्हक पर्ची" / "अस्वीकरण पर्ची" की पावती की एक प्रति भी रिकॉर्ड में रखी जाएगी।

23. **शारीरिक मापन परीक्षा के लिए अपीलीय बोर्ड:** शारीरिक क्षमता और मापन परीक्षण (दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद) में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को पद के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार शारीरिक मापन परीक्षण अर्थात् ऊंचाई/छाती (पुरुष अभ्यर्थी) और ऊंचाई (महिला अभ्यर्थी) मापन के परीक्षण में शामिल होना होगा। अपनी शारीरिक माप से संतुष्ट नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को पीईएंडएमटी के दिन ही अनर्हता के खिलाफ अपील दायर करनी होगी। बाद में किसी भी स्तर पर आवेदन/अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

24. कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा (अधिकतम 25 अंक) : शारीरिक क्षमता और मापन परीक्षण (पीईएंडएमटी) में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी; साथ ही कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यह परीक्षा 10 मिनट की अवधि की होगी। अंतिम परिणाम तैयार करते समय इसके अंकों को ध्यान में रखा जाएगा। अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में प्राप्त की गई टंकण गति के अनुसार अंक दिए जाएंगे।

25. कंप्यूटर (फॉर्मेटिंग) परीक्षा (अर्हकारी) : कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर (फॉर्मेटिंग) परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और एमएस-वर्ड, एमएस-पावरपॉइंट और एमएस-एक्सेल पर परीक्षण किया जाएगा जो अर्हकारी प्रकृति का होगा। अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग से 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उसी तरह से प्रारूपित (फॉर्मेट) करना होगा जैसा कि दिए गए हैंडआउट में है और प्रिंटर से इसे प्रिंट करना होगा। सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली निम्नलिखित प्रारूपण सुविधाओं (फॉर्मेटिंग फीचर्स) का परीक्षण किया जाना चाहिए:

एमएस वर्ड

समय :10 मिनट

(i)	पैराग्राफ बनाना	(xi)	सुपरस्क्रिप्ट
(ii)	रेखांकन	(xii)	सबस्क्रिप्ट
(iii)	विभिन्न प्रकार का फ्रॉन्ट उपयोग करना	(xiii)	पृष्ठ संख्या अंकन (पेज नंबरिंग)
(iv)	पैराग्राफ संख्या सम्मिलित करना	(xiv)	चिन्ह या प्रतीक लगाना
(v)	बाएँ/दाएँ हाशिया लगाना	(xv)	तालिका बनाना / पाठ के बीच में तालिका को जोड़ना
(vi)	टेक्स्ट को बड़े अक्षरों (बोल्ड) में करना	(xvi)	बुलेट / संख्या अंकन
(vii)	तिरछे (इटेलिक्स) अक्षर	(xvii)	केस बदलना
(viii)	विभिन्न फ्रॉन्ट आकार का उपयोग	(xviii)	पैराग्राफों की सेटिंग
(ix)	टेक्स्ट बीच में, बाएँ, दायें, दोनों ओर बराबर करना	(xix)	शीर्षलेख (हेडर)
(x)	पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग सिंगल, डबल आदि	(xx)	पादलेख (फुटर)

एमएस-पावरपॉइंट

समय :10 मिनट

(i)	हेडर बनाएं	(xi)	स्लाइड की पृष्ठभूमि शैली (बैकग्राउन्ड स्टाइल)
(ii)	टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करें	(xii)	स्लाइड का डिजाइन
(iii)	हाइपरलिंक बनाएं	(xiii)	प्रिंट हैंडआउट
(iv)	चार्ट/ग्राफ सम्मिलित करें	(xiv)	क्लिप आर्ट बनाएं

(v)	तालिका बनाएं	(xv)	पादलेख बनाएं
(vi)	तालिका में स्वांकन (ऑटो नंबर) करें	(xvi)	स्लाइड में संख्यांकन (नंबरिंग)
(vii)	तालिका में बुलेट बनाएं	(xvii)	चित्र सम्मिलित करें
(viii)	आकृति बनाएं	(xviii)	एमएस वर्ड के साथ हैंडआउट छापें
(ix)	स्मार्ट आर्ट बनाएं	(xix)	क्रियाकरण (एक्शन) सम्मिलित करें
(x)	वर्डआर्ट के साथ टेक्स्ट बनाएं	(xx)	पाठ का संरेखण

एमएस-एक्सेल

समय :10 मिनट

(i)	चार्ट/ग्राफ सम्मिलित करें	(xi)	सेल को रुपये के रूप में प्रारूपित करें
(ii)	टेक्स्ट को आवृत करें (टेक्स्ट को रैप करें)	(xii)	क्लिप आर्ट बनाएं
(iii)	खानों को मिलाएं (सेल्स मर्ज करना)	(xiii)	फ्रॉन्ट का आकार
(iv)	टेक्स्ट को केंद्र में रखें	(xiv)	फ्रॉन्ट की शैली (फ्रॉन्ट स्टाइल)
(v)	टेक्स्ट के रूप में केंद्र संरेखित करें	(xv)	फ्रॉन्ट का रंग (फ्रॉन्ट कलर)
(vi)	टेक्स्ट का उन्मुखीकरण	(xvi)	पादलेख (फुटर) बनाएं
(vii)	बोल्ड टेक्स्ट	(xvii)	डेटा क्रमबद्ध करें (सॉर्ट डेटा)
(viii)	टेक्स्ट को रेखांकित करें	(xviii)	सूत्र सम्मिलित करें।
(ix)	तिरछे (इंटेलेक्स) अक्षर	(xix)	आकृतियां बनाएं
(x)	शीर्षलेख बनाएं	(xx)	सेल को संख्या और दशमलव स्थानों के रूप में प्रारूपित करें

उपरोक्त सूचीबद्ध फॉरमेटिंग की 20 विशेषताओं की परीक्षा की जा सकती है प्रत्येक परीक्षण में फॉरमेटिंग की प्रत्येक विशेषता के लिए 1/2 अंक होगा। फॉरमेटिंग विशेषताओं के मामले में यदि अभ्यर्थी नमूने के अनुसार फारमेटिंग करते हैं, तो प्रत्येक के लिए ½ अंक दिया जाएगा। अन्यथा कोई अंक नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा के लिए फारमेटिंग विशेषता हेतु 10 अंकों में से अभ्यर्थी को प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 6 अंक प्राप्त करने चाहिए। संपादन सुविधा (एडिटिंग टूल्स) के उपयोग से अभ्यर्थियों द्वारा गलतियों को सुधारने पर कोई पतिबंध नहीं है

26. बराबरी (टाई) के मामलों का समाधान

ऐसे मामले में जहां एक से अधिक अभ्यर्थी बराबर समग्र अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा: -

- i) अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
- ii) यदि जन्म तिथि भी समान है, तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
- iii) यदि जन्म तिथि और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अंक समान हैं, तो कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को वरीयता दी जाएगी।
- iv) यदि जन्म तिथि, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अंक और कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा में अंक भी समान हैं, तो वर्णानुक्रम क्रम, जिसमें अभ्यर्थी का प्रथम नाम आता है, के आधार पर मामले का निर्णय किया जाएगा।

27. अंतिम परिणाम की घोषणा

27.1 कंप्यूटर (फोरमेटिंग) परीक्षा समाप्त होने के बाद, अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों के कंप्यूटर (फोरमेटिंग परीक्षण) के परिणाम के साथ उनके कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम की घोषणा हेतु कर्मचारी चयन आयोग को भेजे जाएंगे। कंप्यूटर (फोरमेटिंग) परीक्षा में अर्हक घोषित अभ्यर्थियों की सूची से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (100 अंक), कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा (25 अंक) और पोल्साहन

- / बोनस अंक (यदि कोई हो) में योग्यता के आधार पर अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों (विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के अनुसार) (श्रेणी वार) तैयार की जाएगी और घोषित की जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उनकी योग्यता / श्रेणी के अनुसार अधिसूचित रिक्तियों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के अतिरिक्त 15% अभ्यर्थियों का "रिजर्व पैनल" भी तैयार किया जाएगा और इसे दिल्ली पुलिस को सीलबंद लिफाफे में दिया जाएगा, जो अपलोड नहीं किया जाएगा।
- 27.2 अजा / अजजा / अपिव वर्गों के अभ्यर्थी, जो अन्य समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों के साथ, बिना किसी छूट के मानकों के अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं, उन्हें रिक्तियों के आरक्षित भाग में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अजा, अजजा और अपिव अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार सामान्य /अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र अजा, अजजा, अपिव वर्ग के अभ्यर्थियों से अलग से भरा जाएगा, जिसमें अजा, अजजा, अपिव वर्ग के वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जिनकी योग्यता अनारक्षित श्रेणी की योग्यता सूची में चयनित अंतिम सामान्य अभ्यर्थी की तुलना में काम है, परंतु छूट के मानकों के अनुसार वे नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं।
- 27.3 आकव श्रेणी से संबंधित व्यक्ति को एक अनारक्षित रिक्ति के लिए नियुक्ति हेतु प्रतिस्पर्धा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। आकव श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिनका चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है न कि आरक्षण के आधार पर, उन्हें आरक्षण के लिए निर्धारित कोटे में नहीं गिना जाएगा।
- 27.4 अभ्यर्थियों का चयन अनंतिम रूप से उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के पुलिस सत्यापन और पद के लिए निर्धारित मेडीकल फिटनेस के अधीन किया जाएगा। सत्यापन प्रपत्र में किसी भी प्रकार के तथ्यों को छिपाने / गलत बयानी के परिणाम स्वरूप अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। यदि सत्यापन प्रपत्र में किसी भी प्रकार के तथ्यों को छिपाने / गलत बयान बयान देने का पता चलता है, तो अभ्यर्थी के खिलाफ स्थायी आदेश संख्या 398/2018 के प्रावधानों और समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और वह अपने प्रशिक्षण पर खर्च की गई राशि को राज्य के खजाने को वापस करने के लिए भी उत्तरदायी होगा/होगी। उन्हें दिल्ली पुलिस में सेवा देने से भी वंचित कर दिया जाएगा। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
- 27.5. अभ्यर्थियों की योग्यता/श्रेणी-वार अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के अतिरिक्त **"15% अभ्यर्थियों का रिजर्व पैनल"** घोषित किया जाएगा। उनके लिए श्रेणी-वार रिक्तियों को भरने हेतु विचार किया जाएगा, जो मुख्य सूची में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के किसी भी कारण से विभाग में कार्यग्रहण नहीं करने से उत्पन्न हो सकती हैं, यथा- (i) चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त होने के कारण (ii) प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (iii) अन्यथा विभाग में कार्यग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं (iv) नियुक्ति के लिए पात्र नहीं पाए गए (v) पद ग्रहण करने के लिए एक वर्ष के भीतर चयनित अभ्यर्थियों के त्यागपत्र या मृत्यु आदि के कारण अगली भर्ती किए जाने तक। इन अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए अधिसूचित रिक्तियों के लिए नियुक्ति हेतु कोई दावा या अधिकार नहीं होगा। वे नियुक्ति तभी प्राप्त कर सकते हैं जब ऊपर बताए गए कारणों से चयनित अभ्यर्थियों के विभाग में शामिल नहीं होने के परिणामस्वरूप कोई रिक्ति (श्रेणी वार) उत्पन्न होती है। रिक्तियों को श्रेणीवार योग्यता सूची के अनुसार ही भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस सूची के किसी भी अभ्यर्थी पर किसी भी भावी रिक्तियों/अन्य रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त कारणों से रिक्तियां होने पर ही इस सूची से अभ्यर्थियों को सरकारी औपचारिकताओं अर्थात पुलिस सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण आदि का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही बुलाया जाएगा।
- 27.6 अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के अंतिम परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद, कर्मचारी चयन आयोग उसे दिल्ली पुलिस को एक सॉफ्ट / हार्ड कॉपी में देगा ताकि दिल्ली पुलिस अनिवार्य सरकारी औपचारिकताओं के बाद के चरणों को शुरू कर सके, जैसे- पुलिस सत्यापन /चिकित्सा परीक्षा फॉर्म भरकर / जमा करके चिकित्सा परीक्षा और पुलिस सत्यापन करना आदि।
- 27.7 भर्ती प्रकोष्ठ, नई पुलिस लाइन, दिल्ली अपेक्षित फार्मों को भरने / जमा करने का कार्यक्रम दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

- 27.8 भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और अभ्यर्थी की भर्ती प्रकोष्ठ, नई पुलिस लाइन, दिल्ली के कार्यालय में बार-बार यात्रा से बचने के लिए सभी अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पूरी जानकारी के साथ स्थिति अर्थात नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, श्रेणी चिकित्सा परीक्षा की स्थिति, पुलिस सत्यापन और कार्यग्रहण की तारीख आदि दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- 27.9 "नियुक्ति का प्रस्ताव" पत्र प्राप्त करने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को "बुलावा पत्र (कॉल लेटर)" जारी किया जाएगा। यह पत्र चयनित अभ्यर्थियों को सभी अनिवार्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही जारी किया जाएगा, जो की मेडिकल फिटनेस, चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन और दस्तावेजों की अंतिम जांच आदि के अध्यक्षीन है।
- 27.10 "नियुक्ति का प्रस्ताव" पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल उस अभ्यर्थी को ही जारी किया जाएगा, जिसने सफलतापूर्वक सभी अपेक्षित दस्तावेज (मूल रूप में) जमा कर दिया है।

टिप्पणी:- सभी चयनित अभ्यर्थियों के मामले, जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया है / जांच लंबित है / न्यायालय में मामला विचाराधीन है, उनके मामलों पर एस.ओ. सं. 398/2018 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के प्रावधानों के मद्देनजर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। विभागीय चयनित अभ्यर्थियों, जिनके खिलाफ कोई डीई/पीई/आपराधिक मामला/सतर्कता जांच आदि लंबित है, से संबंधित मामलों को अंतिम रूप देने तक लंबित रखा जाएगा और उन मामलों पर अंतिम फैसला होने के पश्चात ही उनके संबंध में उपयुक्तता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

27.11 **प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम** : इस पद के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को 04 (चार) महीने की अवधि के लिए या समय-समय पर पुलिस आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के अनुसार दिल्ली के प्रशिक्षण केंद्र में आवासीय प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करना होगा और प्रशिक्षण स्थायी आदेश के अनुसार दिल्ली पुलिस अकादमी से सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होना होगा।

टिप्पणी:

- (i) दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) अभ्यर्थियों को आउटडोर प्रशिक्षण से छूट दी जाएगी। तथापि, प्रशिक्षण स्थायी आदेश के अनुसार उन्हें इस पद के लिए इनडोर प्रशिक्षण करना होगा।
- (ii) दिल्ली पुलिस अकादमी में शिक्षा का माध्यम हिंदी होगा।

28. परीक्षा में प्रवेश:

28.1 सभी अभ्यर्थी, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय तक स्वयं को पंजीकृत करते हैं तथा जिनके आवेदन सही पाए जाते हैं और परीक्षा की इस विज्ञापित में दी गई निबंधन और शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा जिन अभ्यर्थियों के आवेदन को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किया जाएगा और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेशपत्र जारी किया जाएगा। तदनंतर, अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेशपत्र जारी किया जाएगा।

28.2 आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पदों के लिए पात्र हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय उनसे समर्थनकारी दस्तावेजों की प्रतियां मांगी जाएंगी। संवीक्षा करते समय यदि आवेदन में किया गया दावा सही नहीं पाया जाता है तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

28.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र आयोग के क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को

सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

28.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से दो सप्ताह पूर्व तक आयोग की वेबसाइट पर अपने ब्योरे की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

28.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपनी पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

28.6 प्रवेशपत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर परीक्षा से लगभग 3-7 दिन पहले उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।

28.7 प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, **मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वह जन्म तिथि अंकित हो जोकि प्रवेश-पत्र में दी गई है**, लाना अनिवार्य है, जैसे:

28.7.1 आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंटआउट,

28.7.2 मतदाता पहचान-पत्र,

28.7.3 ड्राइविंग लाइसेंस,

28.7.4 पैन कार्ड,

28.7.5 पासपोर्ट,

28.7.6 विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान-पत्र

28.7.7 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम)

28.7.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका

28.7.9 केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो प्रमाण-पत्र

28.8 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

28.9 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ला सकता है।

28.10 धुंधली तस्वीर और/या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

29. दस्तावेज सत्यापन

29.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर शार्टलिस्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों और उन अभ्यर्थियों को जो शा.क्ष. और मा.प. (अर्थात् दौड़, लंबी / ऊंची कूद और शारीरिक माप) के सभी आयोजनों में अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें यथा उल्लिखित पैरा 29.3 के अनुसार मूल दस्तावेजों और उनकी फोटोकॉपी के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।

29.2 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने के दौरान यथा उल्लिखित पैरा 28.7 में सूचीबद्ध अनुसार दो पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो पहचानपत्र साक्ष्य लाना होगा।

29.3 अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होंगी जैसे:

- 29.3.1 मैट्रिक / माध्यमिक प्रमाण पत्र।
- 29.3.2 आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र।
- 29.3.3 यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशेष शैक्षिक योग्यता को समकक्ष शैक्षिक योग्यता होने का दावा करता है तो शैक्षिक योग्यता में समकक्ष खंड के संबंध में दावा की गई समकक्ष शैक्षिक योग्यता के संबंध में आदेश / पत्र जिसमें उस प्राधिकारी का अंकन (संख्या और दिनांक सहित) हो जिसके तहत उसे ऐसा माना गया है।
- 29.3.4 जाति / श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आता है।
- 29.3.5 दिव्यांग व्यक्ति प्रमाण-पत्र।
- 29.3.6 यदि लागू हो तो पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित प्रमाणपत्र (अनुबंध-ज)।
- 29.3.7 भूतपूर्व सैनिकों के लिए (भूपूसै) के लिए:
- 29.3.8 अनुबंध-झ के अनुसार सेवारत रक्षा कर्मी का प्रमाणपत्र / अनापत्ति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।
- 29.3.9 अनुबंध-ञ के अनुसार वचनपत्र।
- 29.3.10 कार्यमुक्ति संबंधी प्रमाणपत्र, यदि सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त किया गया है।
- 29.3.11 प्रासंगिक प्रमाणपत्र, यदि आयु में छूट की मांग करता है।
- 29.3.12 दिल्ली पुलिस कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के आश्रितों को जारी किया गया आश्रित प्रमाण पत्र (अनुबंध-छ), यदि लागू हो।
- 29.3.13 आरआरयू प्रमाण पत्र।
- 29.3.14 यदि लागू हो तो, खेल प्रमाणपत्र।
- 29.3.15 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों के संबंधी प्रमाण पत्र (अनुबंध-ट), यदि लागू हो।
- 29.3.16 सरकार / सरकारी उपक्रमों में पहले से नियोजित मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 29.3.17 यदि लागू हो, एनसीसी प्रमाणपत्र-ए, बी या सी।
- 29.3.18 यदि कोई अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन करने का दावा करता है तो निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:
- 29.3.19 महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;
- 29.3.20 महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: यथा-स्थिति, पहले पति से तलाक संबंधी विलेख/ मृत्यु प्रमाण पत्र; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;
- 29.3.21 महिलाओं के तलाक के मामले में: तलाक की डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र;
- 29.3.22 "विधवा/ तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक रूप से अपने पतियों से अलग महिलाओं के तहत उपलब्ध छूट का प्रमाण।
- 29.3.23 पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचारपत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।
- 29.3.24 पीईएंडएमटी / दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश-पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

30. चयन का तरीका:

30.1 चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.ई), शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षा (पीईएंडएमटी), कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा एवं कंप्यूटर (फॉरमेटिंग) और अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी।

30.2 उन सभी अभ्यर्थियों को जिनका ऑनलाइन आवेदन सही पाया जाएगा उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया जाएगा। आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का संचालन सिर्फ कंप्यूटर आधारित प्रणाली में करेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रवेश-पत्र कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

30.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिन्दी में ली जाएगी।

30.4 पीई एंड एमटी अर्हक प्रकार के होंगे।

30.5 पीई एंड एमटी की सभी प्रतियोगिताओं में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन (अर्थात् अभ्यर्थियों से अपेक्षित योग्यता प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का संग्रह और उनका मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन) का कार्य दिल्ली पुलिस द्वारा पी ई एंड एम टी के समय किया जाएगा।

30.6 परीक्षा के सभी चरणों में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम योग्यता सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

30.7 अजा, अजजा, अपिव और ई.डब्ल्यू.एस श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों या उनकी श्रेणियों के लिए निर्धारित रिक्तियों, जो भी उनके लिए फायदेमंद हो, में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव, आपिव, एवं ई.डब्ल्यू.एस, भू.सै., एवं शा.दि. श्रेणी के योग्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

30.8 अजा, अजजा, अपिव, आकव, भूपूसै और दिव्यांगजन अभ्यर्थी, जो छूट के मानकों आयु सीमा, अनुभव या योग्यता, अवसरों की अनुमत संख्या, अपेक्षाकृत अधिक छूट आदि के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, उनकी योग्यता स्थिति के बावजूद, उन्हें अनारक्षित रिक्तियों के बजाय आरक्षित रिक्तियों के लिए गिना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए योग्यता के क्रम में उनकी रैंक पर ध्यान दिए बिना उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक, आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए शिथिल मानकों पर भी सिफारिश की जा सकती है। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों की आयु से सैन्य सेवा में उनकी प्रदत्त सेवावधि की कटौती अनुमेय है और इस तरह की छूट को आयु के संबंध में मानकों में छूट के रूप में नहीं गिना जाएगा। इसी प्रकार, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट के रूप में नहीं माना जाएगा।

30.9 दिव्यांग व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर चुना गया है, अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह पद संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो।

30.10 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

30.11 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनन्तिम होगा, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। परीक्षा से पहले अथवा बाद में जांच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

30.12 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और वह आयोग या संबंधित प्रयोक्ता विभाग से अंतिम परिणाम घोषणा होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं करता है, तो उसे संबंधित प्रयोक्ता विभाग से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

30.13 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनन्तिम होगा, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा, कंप्यूटर (फॉरमेटिंग) परीक्षा, पीई एवं एमटी और चिकित्सा परीक्षा से पहले अथवा बाद में साथ ही नियुक्ति पत्र जारी होने/सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के बाद भी, जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग/दिल्ली पुलिस द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

30.14 सभी चयनित अभ्यर्थियों के मामलों का, जिनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज/ जांच लंबित/ न्यायालय में ट्रायल लंबित है, दिल्ली पुलिस द्वारा उनके स्थाई आदेश सं-398/2018 के प्रावधानों को देखते हुए कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। विभागीय चयनित अभ्यर्थियों के मामले, जिनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/ प्राथमिक जांच/ आपराधिक मामला/ सतर्कता जांच आदि लंबित है, उनके मामलों को अंतिम रूप दिए जाने तक लंबित रखा जाएगा और उनके मामलों को अंतिम रूप देने के बाद उनके मामलों का निर्णय मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

30.15 कौशल परीक्षाएं सिर्फ दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

31. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

31.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर पुस्तिका लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचना दिए परीक्षा स्थल से बाहर जाना।	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन/ सहारा लेना।	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों पर भी काम कर रहा है।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्रों/हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेयास्त्रों/हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना।	7 वर्ष

15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाइ कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा-प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

31.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

32. आयोग का निर्णय अंतिम:

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धति, परीक्षा (ओं) का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची तैयार करने, कदाचार में लिप्त होने पर वंचित किए जाने संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

33. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा.संख्या 39020/1/2016-स्था. (ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात आयोग द्वारा आयोजित उक्तखुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग के क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा : (i) अभ्यर्थी का नाम (ii) पिता/पति का नाम (iii) जन्म तिथि (iv) श्रेणी (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/आकव/शादि/ भूपूसै) (v) अभ्यर्थी का लिंग (vi) शैक्षिक योग्यता (vii) अर्हक परीक्षा में प्राप्त कुल अंक (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है (ix) पूरा पता (x) ई-मेल। तथापि, अपना आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थियों के पास सार्वजनिक रूप से उपर्युक्त विवरणों को प्रकट न करने का विकल्प रहेगा। तदनुसार, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और रैंक आयोग की वेबसाइट/एनसीएस पर उपलब्ध होंगे जिन्होंने उपर्युक्त ब्यौरा प्रकट करने का विकल्प दिया है अथवा अनजाने में विकल्प का प्रयोग नहीं किया है।

34. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई भी विवाद आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों के अधीन होगा, जहां अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं।

35. अयोग्यता: कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

36. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

1	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
2	अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
3	अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रह और उनका सत्यापन दिल्ली पुलिस द्वारा शा.द. एवं मा.प. के समय किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद के लिए पात्र हैं। शा.द एवं मा.पके समय जब दस्तावेजों के संवीक्षा करने के दौरान यदि यह पाया जाता है कि कोई सूचना अथवा दावा ठीक नहीं है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
4	अजा/अजजा/अपिव/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। शा.द एवं मा.पके दौरान मांगे जाने पर उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
5	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए। सामान्यतः आयोग/दिल्ली पुलिस को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है।
6	इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराया जाए। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है तथा परीक्षा में एक से अधिक बार बैठता (किसी भी स्तर पर) है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारितकर दिया जाएगा।
7	अपाठ्य /धुंधलें फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
8	एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन /सुधार के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। डाक/ फैक्स/ ई-मेल/ स्वयं आकर आदि जमा किए ऐसे किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
9	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग/ दिल्ली पुलिस अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
10	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में नवीनतम दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और फोटो लगा एक पहचान साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूपूसै की सेवा निवृत्ति पंजिका या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पहचानपत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र लाना होगा। यदि जन्मतिथि के समर्थन में लाए फोटो पहचान-पत्र/ प्रमाण-पत्र और प्रवेश-पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि में अंतर होता है तो, अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी /साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
12	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी

	कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / उप क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए।
13	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
14	देय शुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और आरक्षण के पात्र अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक (भू.सै.) से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।
15	अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे एक पुलिस बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और इसलिए वे चयन प्रक्रिया में शारीरिक/मानसिक तौर पर पूर्णतः तैयार होकर भाग लें और भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/ दुर्घटना के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। कर्मचारी चयन आयोग/ दिल्ली पुलिस को किसी भी अप्रत्याशित घटना/ दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अभ्यर्थी अपने स्वयं की जिम्मेदारी पर भर्ती में भाग लेंगे।
16	यदि कोई अभ्यर्थी लंबाई का लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर अपने सिर पर चोट (उभार/ फूलना) लगा लेता है अथवा अम्लिका (टेमारिन्ड) रख लेता है, तो उसे आगे की भर्ती प्रक्रिया से वारित कर दिया जाएगा।
17	शा.द एवं मा.पके दौरान अगर कोई अभ्यर्थी किसी ओजस्वी दवा के सेवन से प्रभावित पाया जाता है तो उसे भर्ती के आगे की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।
18	शारीरिक माप परीक्षा के लिए हर केंद्र पर अपीलीय प्राधिकारी उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट/ या सहमत नहीं होता है तो वह पीठासीन अधिकारी के माध्यम से संबंधित भर्ती केंद्र पर उसी दिन अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकता/ सकती हैं। इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उसके बाद आगे किसी भी अपील या प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक क्षमता परीक्षा के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती हैं।
19.	आवेदन पत्र के अंत में घोषणा की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाता है। घोषणा-पत्र से सहमत होने/ उस पर हस्ताक्षर करने से पहले अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र में भरे गए विवरण और घोषणा-पत्र की विषय-वस्तु सावधानीपूर्वक पढ़नी चाहिए और जब वे इस बात से संतुष्ट हो जाएँ कि उनके द्वारा दी गई सूचना सही है, उन्हें तभी उससे सहमत होना /उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। किसी तथ्य को छुपाने/ गलत सूचना देने/ गलत घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने से उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

अवर सचिव (नीति एवं योजना-II)
कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय)

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- I. एक बारगी पंजीकरण
- II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग - I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
 - क) मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
 - ख) ई-मेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ग) आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरणों में मूल दस्तावेज को दिखाना होगा)
 - i. वोटर आईडी कार्ड
 - ii. पैन
 - iii. पासपोर्ट
 - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
 - v. स्कूल/कॉलेज आई डी
 - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
 - घ) मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने का बोर्ड, अनुक्रमांक और वर्ष के बारे में जानकारी।
 - ङ) यदि आप किसी विशिष्ट दिव्यांगता पीड़ित हैं, तो दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या।
3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <http://ssc.nic.in> पर 'Log in' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
 - क) मूलभूत विवरण
 - ख) अतिरिक्त तथा संपर्क विवरण
 - ग) घोषणा।
5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:
 - क) सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात् आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं, इसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।
 - ख) क्रम संख्या-1: आधार संख्या/ पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। इन नंबरों में से कोई एक नंबर दिया जाना अपेक्षित है।
 - ग) क्रम संख्या-2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2घ में करें।
 - घ) क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
 - ङ) क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

- च) क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि ठीक वैसी ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।
- छ) क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:
- i. शिक्षा बोर्ड का नाम
 - ii. अनुक्रमांक
 - iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष
- ज) क्रम संख्या-7: लिंग (पुरुष/महिला)
- झ) क्रम संख्या-8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (सर्वोच्च)
- ञ) क्रम संख्या-9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग/दिल्ली पुलिस संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ट) क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग/दिल्ली पुलिस जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड/पंजीकरण की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ठ) अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड) जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपके डाटा को सहेजा जाएगा तथा आपकी पंजीकरण संख्या को आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- ढ) आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- ण) अपनी पंजीकृत संख्या को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- त) पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड तथा पंजीकरण संख्या का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- थ) सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर, आपके द्वारा अब तक भरे गए 'मूलभूत विवरण' के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। यदि अपेक्षित हो तो आप इसमें संपादन कर सकते हैं अथवा अपना एक बारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए नीचे दिए गए 'Next' बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
- द) क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध) क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- न) क्रम संख्या-13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- प) क्रम संख्या-14: यदि कोई दिव्यांगता हो तो उसकी सूचना दें। दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) (चालन संबंधी), 40% या अधिक की चालन संबंधी दिव्यांगता (एक पैर या दोनों पैर प्रभावित): हां/नहीं। प्रमाण-पत्र संख्या दें।
- फ) क्रम संख्या-15 से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- ब) प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें तथा 'अंतिम सबमिट' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- भ) 'घोषणा' को ध्यान से पढ़ें और यदि आप घोषणा से सहमत हैं तो 'I Agree' पर क्लिक करें।

- म) 'अंतिम सबमिट' पर क्लिक करने पर विभिन्न ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको दोनों ओटीपी में से एक ओटीपी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में दर्ज करना होगा।
- य) मूलभूत सूचनाओं को प्रदान करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।
6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'मूलभूत विवरण' को बदला जा सकता है। तथापि, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एकवारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें ।
7. आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

एकबारगी पंजीकरण फॉर्म के स्क्रीनशॉट्स

BASIC DETAILS

NOTE: Candidates must be cautious while filling up Registration details. Your candidature may get cancelled in case incorrect/ wrong information is furnished.

1. Do you have Aadhaar ? * Yes No

1a. Aadhaar Number
Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card

1b. Verify Aadhaar Number

1c. Type of ID *
Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number

1d. ID Number *

2a. Name *
1. Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof)

2b. Verify Name *

2c. Have you ever changed Name? Yes No

2d. New Name / Changed Name

3a. Father's Name *
1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc)

3b. Verify Father's Name *

4a. Mother's Name *
1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Mrs/ Ms/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc)

4b. Verify Mother's Name *

5a. Date of Birth (DD/MM/YYYY) *
Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate

5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

6. Matriculation (10th Class) Examination details :

(i). Education Board *
Education Board of Matriculation Examination

(ii). Verify Education Board *

(iii). Roll Number *
1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s)
3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

(iv). Verify Roll Number *	<input type="text" value="301739"/>
(v). Year of Passing *	<input type="text" value="2013"/>
(vi). Verify Year of Passing *	<input type="text" value="2013"/>
7a. Gender *	<input type="radio"/> Male <input checked="" type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
7b. Verify Gender *	<input type="radio"/> Male <input checked="" type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
8. Level of Educational Qualification *	<input type="text" value="Graduation"/>
9a. Mobile Number *	<input type="text" value="8111111111"/>
9b. Verify Mobile Number *	<input type="text" value="8111111111"/>
10a. Email ID *	<input type="text" value="sample123@gmail.com"/>
10b. Verify Email ID *	<input type="text" value="sample123@gmail.com"/>
* State / UT of Permanent Address *	<input type="text" value="Delhi"/>

ADDITIONAL AND CONTACT DETAILS

[Edit](#)

11a. Category *	<input checked="" type="radio"/> General <input type="radio"/> EWS <input type="radio"/> OBC <input type="radio"/> ST <input type="radio"/> SC
11b. Verify Category *	<input checked="" type="radio"/> General <input type="radio"/> EWS <input type="radio"/> OBC <input type="radio"/> ST <input type="radio"/> SC
12. Nationality *	<input type="text" value="Citizen of India"/>
13. Identification Marks *	<input type="text" value="MOLE ON RIGHT CHEEK"/>
14a. Are you a Person with Benchmark Disability? *	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
14b. Type of Disability	<input type="text" value="OH"/>

NOTE
VH: Blindness and low vision.
HH: Deaf and hard of hearing.
OH: Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.
Others: Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

14c. Disability Certificate Number	<input type="text" value="DERT1234"/>
15a. Permanent Address *	<input type="text" value="SAMPLE PERMANENT ADDRESS"/>
15b. State/ UT *	<input type="text" value="Punjab"/>

15c. District * Patiala

15d. PIN Code * 140401

16. Is Present Address same as Permanent Address? Yes No

17a. Present Address * SAMPLE PERMANENT ADDRESS

17b. State/ UT * Punjab

17c. District * Patiala

17d. PIN Code * 140401

18. Contact details for other nationals

[Previous](#) [Save](#) [Next](#) [Reset](#) [Close](#)

DECLARATION

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

I Agree.

[Previous](#) [Take Draft Print](#) [Final Submit](#) [Close](#)

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:
 - क. हाल का (परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं) जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (20 केबी से 50 केबी)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) X 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटो बिना टोपी पहने और बिना चश्मे लगाए होनी चाहिए। धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटो अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-ठ में दिए गए हैं।
 - ख. जेपीईजी फॉर्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अस्पष्ट/धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।
 - ग. अर्हक शैक्षिक योग्यता का ब्योरा जैसे उत्तीर्ण करने का वर्ष, अनुक्रमांक सं., प्रतिशत/ सीजीपीए, विश्वविद्यालय का नाम इत्यादि।
2. अपने 'पंजीकरण संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
3. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत 'Head Constable (Ministerial) in Delhi Police Examination-2022' सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
4. क्रम सं.-1 से 14 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकवारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तथापि, यदि आप एकवारगी पंजीकरण के किसी भी ब्योरे में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने लॉग-इन स्क्रीन के बाएं हाथ के कोने में प्रदान की गई 'Modify Registration' टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपर्युक्त संशोधन कर लें।
5. क्रम संख्या-15: यदि आप उस जाति से संबंध रखते हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग के केंद्रीय सूची में अधिसूचित हैं तो 'Yes' का चयन करें। यह छूट उन अभ्यर्थियों के लिए भी स्वीकार्य होगी जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्र जारी किया गया है {विज्ञप्ति के पैरा 5.7 (नोट-I) का संदर्भ लें}।
6. क्रम संख्या-16: यदि आप विधवा/तलाकशुदा/न्यायिक रूप से विच्छेद प्राप्त महिला हैं तो 'Yes' का चयन करें।
7. क्रम संख्या-17: यदि आप दिल्ली पुलिस के 'विभागीय अभ्यर्थी' हैं तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति के पैरा सं. 5.5 का संदर्भ लें)।
8. क्रम संख्या-18: यदि आप दिल्ली पुलिस के सेवारत, दिवंगत, सेवानिवृत्त दिल्ली पुलिस कार्मिक/ मल्टी-टासकिंग कर्मचारी के पुत्र/ पुत्री हैं तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति के पैरा सं. 6 का संदर्भ लें)।
9. क्रम संख्या-19: अगर आपने ऑनलाइन आवेदन के आखिरी तिथि से पिछले तीन वर्ष के दौरान खेल में अपने राज्य का राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति के पैरा सं. 5.4 का संदर्भ लें)।
10. क्रम संख्या-19.1: अपने खेल का नाम/ प्रकार चुनें (विज्ञप्ति के अनुबंध-'क' का संदर्भ लें)।

11. क्रम संख्या-20: कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) का माध्यम (हिंदी या अंग्रेजी) (विज्ञप्ति के पैरा 15.5 का संदर्भ लें) ।
12. क्रम संख्या-21: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 14.1 का संदर्भ लें ।
13. क्रम संख्या-22.1 से 22.6: यदि आप एक सेवारत या पूर्व सैनिक हैं, तो बिंदु संख्या 22.1 से 22.6 तक आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है तथा इसलिए इन्हें 'No' का चयन करना होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई विशेष कोटा नहीं है (विज्ञप्ति के पैरा संख्या 7 का संदर्भ लें)।
14. क्रम संख्या-23.1 से 23.2: यदि आप आयु-सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, तो क्रम संख्या 23.2 पर आयु-छूट की उपयुक्त श्रेणी का चयन करें (विज्ञप्ति के पैरा संख्या '5.8' का संदर्भ लें) ।
15. क्रम संख्या-24.1 से 24.2: क्या आपके पास एनसीसी प्रमाण-पत्र है? यदि 'हां' तो एनसीसी प्रमाण-पत्र का ब्योरा दें (विज्ञप्ति के पैरा संख्या 10.1 का संदर्भ लें) ।
16. क्रम संख्या-25: टंकण परीक्षा के माध्यम (अंग्रेजी/हिंदी) को इंगित करें (विज्ञप्ति के पैरा संख्या 9(ii) का संदर्भ लें) ।
17. क्रम संख्या-26.1 से 26.2: क्या आपके पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) द्वारा प्रदान की गई डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाण-पत्र है? यदि 'हां' तो डिग्री/प्रमाण-पत्र का ब्योरा दें (विज्ञप्ति के पैरा संख्या 10.2 का संदर्भ लें) ।
18. क्रम संख्या-27: अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता दर्शाएं।
19. क्रम संख्या-28: अर्हक शैक्षणिक योग्यता (अर्थात् 12वीं, 12वीं के समकक्ष, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के मामले में मानद स्नातक) का विवरण प्रदान करें। निम्नलिखित विवरण भरा जाए:
 - I. स्थिति
 - II. उत्तीर्ण करने का वर्ष
 - III. बोर्ड/विश्वविद्यालय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
 - IV. बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम
 - V. अनुक्रमांक
 - VI. प्रतिशतता
 - VII. सीजीपीए
20. क्रम संख्या-29: क्या आप दिनांक 21.06.2016 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का.ज्ञा.संख्या 39020/1/2016-स्था(ख) की शर्तों के अनुसार अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं रोजगार के अवसरों की पहुंच हेतु उपलब्ध करना चाहते हैं (Yes/No) (विज्ञप्ति के पैरा संख्या 33 का संदर्भ लें) ।
21. क्रम संख्या-30 तथा 31: वर्तमान तथा स्थायी पता से संबंधित सूचना एक बारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी।
22. कृपया अपनी नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (अर्थात् परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी न हो) अपलोड करें, जैसा कि ऊपर क्र.सं.1 क पर विनिर्दिष्ट किया गया है। धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-ठ में दिए गए हैं।
23. उपर्युक्त क्र.सं.1 ख के निर्देशानुसार अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

24. क्र.सं.32: अपलोड की गई फोटो परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि अपलोड की गयी फोटो परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी नहीं है तो 'Yes' पर क्लिक करें।
25. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि स्वीकार है तो "I agree" चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।
26. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। यदि आप किसी भी प्रविष्टि में संशोधन करना चाहते हैं तो 'Edit/ Modify' बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपयुक्त संशोधन कर लें। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही भरी गई है तो, जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें और आवेदन जमा कर दें।
27. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
28. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके अथवा एसबीआई चालान तैयार करके एसबीआई के शाखा में नकद जमा किया जा सकता है। शुल्क भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा-11 का संदर्भ लें।
29. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, तो इसे 'अंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, आपको ऑनलाइन आवेदन से संबन्धित शिकायतों, यदि कोई हो, को संबोधित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र का प्रिंट-आउट देना होगा।

ऑनलाइन आवेदनपत्र के स्क्रीनशॉट्स

Head Constable (Ministerial) in Delhi Police Examination, 2022

Instructions

PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE NAME
2. New / Changed Name:	
3. Father's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE FATHER NAME
4. Mother's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE MOTHER NAME
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY): (As per the Matriculation Certificate)	02/01/1999
6. Age as on 01/01/2022:	22.11
7. Gender:	Female
8. Category:	UR
9. Whether Person with Disability (PwD)? :	Yes
9.1. If Yes, Type of Disability:	OH
10. Nationality:	Citizen of India
11. Mark of Visible Identification:	MOLE ON RIGHT CHEEK
12. Matriculation (10 th Class) Examination Board:	Central Board of Secondary Education (CBSE)
13. Matriculation (10 th Class) Roll No.:	301739
14. Matriculation (10 th Class) Year of Passing:	2013
15. Do you possess OBC category certificate notified in the Central list or by the Govt. of NCT of Delhi:	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Please refer to the Notice of Examination, Para-5.7 (Note-1)	
16. Whether a widow/ divorced/ judicially separated women:	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
17. Whether Departmental Candidate of Delhi Police:*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Please refer to the Notice of Examination, Para-5.5	
18. Whether Son/ Daughter of serving, retired or deceased personnel/ Multi-Tasking Staff of Delhi Police:*	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Please refer to the Notice of Examination, Para-6	
19. Have you represented a State at the National level or the Country at the international level in sports during preceding 3 years from the closing date of receipt of online applications:*	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Please refer to the Notice of Examination, Para-5.4	

19.1. If Yes, Please select the Discipline of your Sport:

20. Medium for Computer Based Examination (CBE):*

Verify Medium for Computer Based Examination (CBE):

21. Preference of Examination Centres:*

22.1. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? :* Yes No

22.2. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

22.3. Date of Discharge/ Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

22.4. Length of service in the Armed Forces:

22.5. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM): Yes No

Please refer to the Notice of Examination, Para-7

22.6. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):

23.1. Whether seeking Age Relaxation? :* Yes No

23.2. If Yes, Age Relaxation code:

Please see Para-5.8 of the Notice

24.1. Are you a National Cadet Corps (NCC) Certificate holder? :* Yes No

24.2. Type of the NCC Certificate: *

Confirm Type of the NCC Certificate:

Please refer to the Notice of Examination, Para-10.1

25. Medium for Typing Test:*

Verify Medium for Typing Test:

26.1. Do you possess Degree/ Post Graduate Diploma awarded by Rashtriya Raksha University (RRU)? :* Yes No

26.2. If Yes, class obtained in Degree/ Post Graduate Diploma: *

Please refer to the Notice of Examination, Para-10.2

27. Highest Educational Qualification:*

28. Details of Qualifying Educational Qualification:*

Status	Passing Year	State/ UT of Board/ University	Name of Board/ University	Roll No	Percentage	CGPA
<input type="text" value="Passed"/>	<input type="text" value="2015"/>	<input type="text" value="Delhi"/>	<input type="text" value="Central Board of Second"/>	<input type="text" value="2520905"/>	<input type="text" value="74"/>	<input type="text"/>

29. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM.No.39020/1/2016-Estt.(B) dated 21/06/2016? * Yes No
[Please see Para - 33 of the Notice](#)

30. Correspondence Address: Sample Permanent Address

State: Punjab

District: Patiala

Pin Code: 140401

31. Permanent Address Sample Permanent Address

State: Punjab

Pin Code: 140401

Mobile Number: 8111111111

Email: sample123@gmail.com

Photograph And Signature

Upload a photograph taken on or after 17-Feb-2022*

[Please refer to the Notice of Examination, Annexure-L](#)

Allowed File Size: 20 KB to 50 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 3.5 cm (width) x 4.5 cm (height)

SamplePhot...hwithdate.jpg




Upload Signature *

Allowed File Size: 10 KB to 20 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height)

SampleSignature.jpg



32. Whether the photograph has been taken on or after 17-Feb-2022? Yes No

Declaration

1. I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.

2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed/ false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled.

3. I declare that the photograph uploaded in the Application Form has been taken on or after the stipulated dated.

I Agree



Try Another

FMRVL

Preview

Reset

Close

खेलों की सूची

1. तीरंदाजी
2. दंगल
3. बैडमिंटन
4. बास्केटबॉल
5. मुक्केबाजी
6. क्रिकेट
7. साईकल चलाना
8. घुड़सवार
9. फुटबॉल
10. जिम्नास्टिक
11. हॉकी
12. जूडो
13. कबड्डी/ सर्कल कबड्डी/ बीच कबड्डी
14. कराटे
15. खो-खो
16. तैराकी
17. निशानेबाजी
18. टेबल टेनिस
19. टेनिस
20. ट्रिथाथलोन
21. वोलिबॉल
22. कुश्ती
23. भारत्तोलन

(अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी एक मान्यता प्राप्त खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

-----राष्ट्रीय संघ/राष्ट्रीय परिसंघ
(भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध)

पासपोर्ट आकार का फोटो
जारी करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर सहित

केंद्र सरकार के तहत समूह 'ग' एवं 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी-----
पुत्र/पत्नी/पुत्री----- श्री-----
-----, जन्मतिथि-----निवासी-----
----- (पूर्ण पता)-----राष्ट्रीय
प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के-----में दिनांक-----
-----से-----तक आयोजित-----
-----खेल/प्रतियोगिता में-----भारत देश का
प्रतिनिधित्व किया।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्तिगत/टीम द्वारा-----स्थान प्राप्त
किया गया था।

यह प्रमाण पत्र-----राष्ट्रीय संघ/राष्ट्रीय परिसंघ के कार्यालय में
उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जारी किया गया है।

स्थान-----

दिनांक-----

नाम-----

हस्ताक्षर-----

पदनाम-----

राज्य संघ/परिसंघ का नाम-----

पता-----

टिप्पणी: यह प्रमाण पत्र केवल राष्ट्रीय संघ/राष्ट्रीय परिसंघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगी।

(राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी एक मान्यता प्राप्त खेल में एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

-----राज्य संघ

-----खेल

(राज्य ओलंपिक संघ से संबद्ध)

पासपोर्ट आकार का फोटो
जारी करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर सहित

केन्द्र सरकार के तहत समूह 'ग' एवं 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी-----
पुत्र/पत्नी/पुत्री----- श्री-----
-----, जन्मतिथि-----निवासी-----
----- (पूर्ण पता)-----राष्ट्रीय
प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के----- में दिनांक-----
-----से-----तक आयोजित-----
-----खेल/प्रतियोगिता में----- राज्य का
प्रतिनिधित्व किया।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्तिगत/टीम द्वारा----- स्थान प्राप्त किया गया
था।

यह प्रमाण पत्र----- राज्य संघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर
जारी किया गया है।

स्थान-----

दिनांक-----

हस्ताक्षर-----

नाम-----

पदनाम-----

राज्य संघ/परिसंघ का नाम-----

पता-----

मुहर-----

टिप्पणी: यह प्रमाण पत्र केवल राज्य संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है
 किश्री/श्रीमती/कुमारी* _____ पुत्र/पुत्री _____ निवासी ग्राम/कस्बा*
 _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ के
 _____ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित
 जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950*
- संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959@
- संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962@
- संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
- संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@27
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996.
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

§2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

2. यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ केपिता/माताश्री/श्रीमती _____ निवासी
_____ ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____
को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातिप्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो
_____ जाति/जनजाति से संबंधित है जो _____ दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य / संघ
राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और/या* उनका परिवार सामान्यतः
ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ में रहता है।

हस्ताक्षर _____
**पदनाम _____
(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान _____
दिनांक _____

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

§ जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी:- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियोंकोकेवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि _____

पुत्र/पुत्री _____ ग्राम _____

जिला/संभाग _____ राज्य _____
समुदाय से संबंधित हैं जो निम्नलिखित के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:

- (i) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, सं 186 दिनांक 13 सितंबर, 1993 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/68/93-बीसीसी (सी), दिनांक 10 सितंबर, 1993।
- (ii) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, सं 163 दिनांक 20 अक्तूबर, 1994 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/9/94-बीसीसी, दिनांक 19.10.1994।
- (iii) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, सं 88 दिनांक 25 मई, 1995 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/7/95-बीसीसी, दिनांक 24 मई, 1995।
- (iv) संकल्प सं 12011/96/94-बीसीसी, दिनांक 9 मार्च, 1996।
- (v) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, सं 210 दिनांक 11 दिसंबर, 1996 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/44/96-बीसीसी, दिनांक 6 दिसंबर, 1996।
- (vi) संकल्प सं 12011/13/97/-बीसीसी, दिनांक 3 दिसंबर, 1997।
- (vii) संकल्प सं 12011/99/94 -बीसीसी, दिनांक 11 दिसंबर, 1997।
- (viii) संकल्प सं 12011/68/98-बीसीसी, दिनांक 27 अक्तूबर, 1999।
- (ix) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, सं 270 दिनांक 6 दिसंबर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/88/98-बीसीसी, दिनांक 6 दिसंबर, 1999।
- (x) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, सं 71 दिनांक 4 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/36/99-बीसीसी, दिनांक 4 अप्रैल, 2000।
- (xi) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, सं 210 दिनांक 21.09.2000 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/36/99-बीसीसी, दिनांक 21.09.2000।
- (xii) संकल्प सं 12015/19/2000-बीसीसी, दिनांक 06.09.2001।
- (i) संकल्प सं 12011/1/2001-बीसीसी, दिनांक 19.06.2003।
- (ii) संकल्प सं 12011/4/2002-बीसीसी, दिनांक 13.01.2004।

(iii) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, सं 210 दिनांक 16.01.2006 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/9/2004-बीसीसी, दिनांक 16.01.2006।

श्री/श्रीमती/कु० _____ तथा/याउनका परिवार
सामान्यतः _____ राज्यके
जिला/संभाग में रहता/रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.36012/22/93 स्था.-(एससीटी), दिनांक 08.09.1993 तथा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.03.2004 के संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.36033/3/2004 स्था. (आरक्षण) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांक:

मुहर:

जिला अधिकारी/उपायुक्त/सक्षम प्राधिकारी

टिप्पणी (क) :- यहां प्रयुक्त सामान्यतः शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

(ख) जाति प्रमाणपत्र जारी करने सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं :-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट से कम की रैंक का न हो) /तालुका मजिस्ट्रेट/ एकजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफिसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

घोषणा

मैं, _____ पुत्र/पुत्रीश्री _____
_____ निवासी _____ गावं/कस्बा/शहर _____ जिला _____
_____ राज्य _____ एतद द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं _____ समुदाय (अपनी
उप जाति इंगित करें) _____ से संबन्धित हूँ जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के
कार्यालयज्ञापन सं. 36012/22/93 स्था. - (एससीटी) में सम्मिलित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य
से भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं भारत सरकार,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन एवं दिनांक
09.03.2004 के अनुवर्ती कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004 स्था. (आरक्षण) की अनुसूची के कॉलम 3 में
उल्लिखितव्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

स्थान :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक :

अभ्यर्थी का नाम

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या _____

दिनांक _____

वर्ष लिए मान्य

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी
स्थायी निवासी _____ गाँव/गली _____ डाकघर
_____ जिला _____ राज्य/संघ राज्य-
क्षेत्र _____ पिन कोड _____ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष के लिए उनकी /उनके
'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके
परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
 - II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
 - III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
 - IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध _____ जाति से है
जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की महर के साथ हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी के हाल ही का पासपोर्ट
आकार का अनुप्रमाणित
फोटोग्राफ

नाम
पदनाम.....

* , कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

** टिप्पणी 2: इस प्रयाजनाय 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है।

अभ्यर्थी को दिल्ली पुलिस के सेवारत/ सेवानिवृत्त/ दिवंगत पुलिस कार्मिक के आश्रित होने का प्रमाण-पत्र.

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती _____ (पुलिस कार्मिक का नाम)
रैंक _____ रेंज/ कॉन्स्टेबुलरी संख्या. / पीआईएस संख्या. _____ जिला/ इकाई में/से दिनांक
को / से सेवारत/ सेवानिवृत्त/ दिवंगत/ _____ से _____ हैं। उनका/ उनकी पुत्र/ अविवाहित
पुत्री _____ (नाम) दिल्ली पुलिस प्रधान सिपाही (लिपिकीय) भर्ती में अनंतिम रूप से भाग
लेना चाहता/ चाहती हैं।

संबन्धित जिला/ इकाई के डीसीपी/ अ.डीसीपी/ एसीपी/एचक्यू के हस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर सहित)

दिनांक: -----

लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी

_____ पुत्र/ _____ पुत्री/
पत्नी _____ श्री _____, गाँव _____, तहसील/तालुका _____
_____ जिला _____ राज्य _____ के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

* वह गढ़वाली, कुमायूनी, डोगरा, मराठा श्रेणी से संबंध रखता/ रखती है और अभ्यर्थी असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र का/की हैं।

* वह उत्तर पूर्व के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा और अभ्यर्थी गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) का/की हैं जिसमें दार्जिलिंग जिला के तीन उप-खंड दार्जिलिंग, कलिमपोंग, और क्यूसांग मिला हुआ है और इन जिलों के निम्नलिखित "मौज़ा" उप-खंड शामिल हैं:

(1) लोहागढ़ चाय बागान, (2) लोहागढ़ जंगल, (3) रंगमोहन, (4) बाराचेङ्गा, (5) पानिघाता, (6) छोटा अदलपुर, (7) पहरू, (8) सुकना जंगल, (9) सुकना भाग-I, (10) पंटापटी जंगल-I, (11) महानदी जंगल, (12) चंपासरी जंगल, (13) सालबरी छट भाग-II, (14) सितोंग जंगल, (15) सिवोक पहाड़ी जंगल, (16) सिवोक जंगल, (17) छोटा चेंगा, (18) निपनिया।

* वह अनुसूचित जनजाति के/की हैं।

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट/मंडलीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

दिनांक:

स्थान:

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें।

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) _____
(रैंक) _____ (नाम) _____ (दिनांक) _____ को
सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थान:

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं ,
 परीक्षा, 20.... के दस्तावेज
 सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक को कार्यालय में पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियुक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक को कार्यालय में पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण का पात्र नहीं हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझी जाएगी।

हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

दिनांक:

सशस्त्र बल में नियुक्ति की तिथि:

कार्यमुक्ति की तिथि:

अंतिम इकाई / कोर:

मोबाइल नंबर:

ईमेल आईडी:

अभ्यर्थी को विभागीय अभ्यर्थी के रूप में दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती _____ (दिल्ली पुलिस कार्मिक का नाम), रैंक _____ रेंज/ कॉन्स्टेबूलरी/ बेल्ट संख्या _____ और पीआईएस संख्या _____ दिल्ली पुलिस में दिनांक _____ को नियुक्त किया गया था और वर्तमान रैंक/ विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं। वह वर्तमान में _____ दिल्ली पुलिस के जिला/ ईकाई में तैनात हैं और दिल्ली पुलिस प्रधान सिपाही (लिपिक) पुरुष/ महिला भर्ती की परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उन्होंने दिनांक _____ को परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी की है और उनकी सेवा के दौरान उन्हें बड़ी शास्ति और छोटी शास्ति दी गई है। वर्तमान में रिकार्ड के अनुसार इनके विरुद्ध कोई भी वि.जां/ प्रा.जां./ आपराधिक मुकदमा लंबित नहीं है (अगर हैं तो उसकी वर्तमान स्थिति का उल्लेख करें)।

संबन्धित जिला/ ईकाई के डीसीपी/ अ.डीसीपी/ एसीपी/एचक्यू के हस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर सहित)

दिनांक: -----

टिप्पणी:- 'विभागीय अभ्यर्थी' से अभिप्राय ऐसा व्यक्ति है जिसने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को दिल्ली पुलिस में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा की हो और जो सभी शैक्षणिक और अन्य शारीरिक योग्यताओं को पूरा करता हो।

फोटोग्राफ के नमूने
स्वीकृत फोटोग्राफ



अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने
बहुत नजदीक



टोपी के साथ




अत्यधिक रंगीन



धुंधले फोटोग्राफ



उल्टी फोटो



अत्यधिक गहरा रंग



धूप वाले चश्मे के साथ



तिरछी दृश्यमानफोटो



बहुत छोटी



चश्मे के साथ



आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
मैट्रिकुलेशन/दसवीं कक्षा उत्तीर्ण	01
इंटरमीडिएट/ उच्च माध्यमिक/10+2	02
प्रमाणपत्र	03
डिप्लोमा	04
बी.ए.	05
बी.ए. (आनर्स)	06
बी. कॉम	07
बी. कॉम (आनर्स)	08
बी.एससी.	09
बी.एससी. (आनर्स)	10
बी.एड.	11
एल.एल.बी.	12
बी.ई.	13
बी.टैक.	14
ए.एम.आई.ई. (भाग क एवं भाग ख)	15
बी.एस.सी. (इंजी)	16
बी.सी.ए.	17
बी.बी.ए.	18
रक्षा (भारतीय सेना, वायु सेना, नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी.फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी. ए.	23
पी.जी. डिप्लोमा	24
एम.ए.	25
एम.कॉम.	26
एम.एससी.	27
एम.एड.	28
एल.एल.एम	29
एम. ई.	30
एम. टैक	31
एम.एससी. (इंजी.)	32
एम.सी.ए	33
एम.बी.ए	34
अन्य	35